संख्या-1/1207349/2026/*18-4099/29/2025*

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 ***लखनऊ*** **16-01-*2026***

विषय- **शासनादेश *संख्या-615 /18-4-2025-18-4099/29/2025* दिनांक 08.08.2025 के माध्यम से प्रख्यापित ''उत्तर प्रदेश फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025'' के क्रियान्वयन हेतु "क्रियान्वयन के नियम और मानक संचालन प्रक्रिया (Rules and Standard Operating for implementation)" निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-422/एमएसएमई-17/लेदर/2025-26, दिनांक 04 सितम्बर,2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ विषयांकित एस0ओ0पी0 का आलेख शासन को प्रकरण में आवश्यक आग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

तदनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल शासनादेश *संख्या-615 /18-4-2025-18-4099/29/2025* दिनांक 08.08.2025 के माध्यम से प्रख्यापित ''उत्तर प्रदेश फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025'' के क्रियान्वयन हेतु संलग्न "क्रियान्वयन के नियम और मानक संचालन प्रक्रिया (Rules and Standard Operating for implementation)" निर्गत किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- **कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उक्त शासनादेश दिनांक** 08-08-2025 **तथा संलग्न "क्रियान्वयन के नियम और मानक संचालन प्रक्रिया (Rules and Standard Operating for implementation)" के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या तथा दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-1) सी0ए0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय एवं सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8- आयुक्त स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन उ0प्र0 प्रयागराज।
9- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/निदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 लखनऊ।
10- संयुक्त निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन लखनऊ।
11- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 को संलग्नक सहित।
12- सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-1/2 एवं 3, उ0प्र0 शासन।
14-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-1/1207349/2026*/18-4099/29/2025* **दिनांक 16-01-2026 का संलग्नक**

''उत्तर प्रदेश फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025'' के क्रियान्वयन हेतु ''क्रियान्वयन के नियम और मानक संचालन प्रक्रिया (Rules and Standard Operating for implementation)'' प्रक्रिया (SOP)

विषय-सूची

1.	**परिचय**	2
2.	**परिभाषाएं**	2
	2.1 **सामान्य परिभाषाएँ**	2
	2.2 **निजी औद्योगिक पार्क**	11
	2.3 **औद्योगिक इकाइयाँ**	16
3.	**पात्र प्रोत्साहन (औद्योगिक इकाइयों के लिए)**	19

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	3.1 **भूमि लागत सब्सिडी**	20
	3.2 **पूंजीगत सब्सिडी**	23
	3.3 **स्टाम्प शुल्क छूट**	28
	3.4 **रोज़गार सृजन प्रोत्साहन**	29
	3.5 **प्रशिक्षण प्रोत्साहन**	30
	3.6 **विद्युत टैरिफ प्रोत्साहन**	31
	3.7 **अनुसंधान एवं विकास सहायता**	32
	3.8 **परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सब्सिडी**	35
	3.9 **निर्यातोन्मुख प्रोत्साहन**	35
	3.10 **सतत (सस्टेनेबल) लेदर उद्योगों हेतु प्रोत्साहन**	35
4.	**पात्र प्रोत्साहन (औद्योगिक पार्कों के लिए)**	38
	4.1 **स्कोप**	38
	4.2 **आवश्यकताएं**	38
	4.3 **माइलस्टोन मैट्रिक्स और प्रोत्साहन संवितरण**	39
	4.4 **प्रोत्साहन संवितरण के लिए माइलस्टोन मानदंड**	40
	4.5 **पोस्ट ऑपरेशन मैट्रिक्स**	41
5.	**अन्य शर्तें**	42
	5.1 **विशेष प्राविधान -** HLEC **द्वारा विस्तार और छूट**	42
	5.2 **जिला-स्तरीय संस्तुति**	42
अनुलग्नक		42
	अनुलग्नक 1: **औद्योगिक उपक्रम के लिए सामान्य प्रोत्साहन आवेदन पत्र**	51
	अनुलग्नक 2: **प्रोत्साहन आवेदन पत्र - औद्योगिक पार्कों के लिए**	57
	अनुलग्नक 3: **जनपदों की सूची - क्षेत्रवार**	63
	अनुलग्नक 4: **आईडीए/सरकारी एजेंसी को प्राधिकार पत्र (अग्रिम- भूमि सब्सिडी)**	64
	अनुलग्नक 5: **परफॉरमेंस अनुपालन रिपोर्ट (पीसीआर) के लिए प्रारूप**	66

1. परिचय

1.1. **यह नियम "उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर एवं नॉन - लेदर क्षेत्र विकास नीति** 2025" **के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए नियम एवं मानक संचालन प्रक्रिया** (Rules and SOP) **के नाम से जाने जाएंगे, जो शासनादेश संख्या-**615/18-4-2025 -18-4099/29/2025 **दिनांक** 08.08.2025 **के अंतर्गत जारी किए गए हैं।**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

1.2. **यह नियम दिनांक** 08.08.2025 **से प्रभावी होंगे तथा** 5 **वर्ष की अवधि तक लागू रहेंगे अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधित किए जाने तक (जो भी पहले हो) नीति में निर्धारित लाभों के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी रहेंगे।**

2. **परिभाषाएं**

इस नीति के अंतर्गत परिभाषित योग्यता और परिभाषाएँ नीति के अंतर्गत प्रोत्साहनों के लिए आवेदन प्रक्रियाकरण में लागू होंगी, जिन्हें निम्नानुसार सूची बद्ध किया जाता है :-

क्र.सं.	पारिभाषिक शब्दावली	परिभाषाएं
2.1 सामान्य परिभाषाएँ		
2.1.1	प्रभावी तिथि	इस नीति के प्रभावी होने की तिथि, अर्थात् 08.08.2025
2.1.2	प्रभावी अवधि	प्रभावी तिथि से शुरू होकर, जब तक यह नीति लागू रहती है (5 वर्ष) या तब तक जब तक राज्य सरकार द्वारा इसे संशोधित या रद्द नहीं किया जाता।
2.1.3	पात्र औद्योगिक उद्यम या इकाई	कोई भी औद्योगिक उद्यम (जो संयुक्त या सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है जहां सरकार या सरकारी उद्यम की हिस्सेदारी 50% या अधिक हो), जो कंपनी, साझेदारी फर्म (LLP सहित), सोसाइटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहकारी सोसाइटी या स्वामित्व वाली इकाई के अधीन हो, और जो फुटवियर, लेदर और नॉन-लेदर उत्पादों के विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण, अनुबंध निर्माण या जॉबवर्क में लगा हुआ है या होना है, तथा उत्तर प्रदेश में नया, विस्तार या विविधीकरण परियोजना के रूप में स्थापित है।
2.1.4	विनिर्माण	कच्चे माल या इनपुट का प्रसंस्करण और ऐसे रूप में असेंबली जो एक नया उत्पाद उत्पन्न करता है, जिसकी अपनी एक विशिष्ट नाम- पहचान और उपयोग हो, विशेषकर फुटवियर, लेदर और नॉन-लेदर क्षेत्रों में।
2.1.5	जॉबवर्क	'जॉबवर्क' से तात्पर्य है किसी इकाई द्वारा अन्य इकाई की माल सामग्री पर किया गया कोई भी प्रक्रियात्मक बदलाव
2.1.6	विस्तार	जहाँ कोई मौजूदा औद्योगिक उद्यम अपनी स्थायी संपत्तियों (जैसे भवन, मशीनरी, उपकरण, भूमि आदि) के कुल मूल्य में कम से कम 25% वृद्धि करता है, वहन या पूंजी निवेश मानकर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2.1.7	**निजी औद्योगिक पार्क (क्षेत्र-विशिष्ट पार्क सहित)**	**निजी स्वामित्व वाली भूमि (25 एकड़ या उससे अधिक) पर निजी संस्थाओं द्वारा विकसित औद्योगिक पार्क, जिनकी श्रेणियाँ इस प्रकार हैं :–** **(1) निजी औद्योगिक पार्क (**Private Industrial Park): **बहु-क्षेत्रीय(मल्टी सेक्टोरल) औद्योगिक पार्क, जिनमें विभिन्न प्रकार की विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की जा सकती है, जिनमें कम-से-कम** 50% **क्षेत्र जूता, लेदर एवं नॉन-लेदर क्षेत्र की इकाइयों तथा अन्य सहायक उद्योगों के लिए आरक्षित होगा।** **(2) क्षेत्र-विशिष्ट पार्क (**Sector Specific Parks – Footwear, Leather & Non-Leather): **ऐसे पार्क जो इस नीति के अंतर्गत परिभाषित इकाइयों हेतु विशेष रूप से समर्पित होंगे, जैसे–जूता निर्माण इकाइयाँ (लेदर एवं नॉन-लेदर), लेदर एवं नॉन-लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयाँ, जूता–लेदर एवं नॉन-लेदर मशीनरी निर्माण इकाइयाँ, सहायक जूता, लेदर एवं नॉन-लेदर इकाइयाँ, उत्पाद विकास केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, जूता एवं लेदर डिज़ाइन स्टूडियो, जूता उद्योग हेतु सहायक इकाइयाँ।**
	i) **फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट** **(धारा** 2 (**क**)**)**	**(1) लेदर फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग – ऐसी इकाइयां जो मुख्य रूप से लेदर से बने फुटवियर का उत्पादन करती हैं।** **(2) नॉन-लेदर फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग– वेयूनिट्स जो नॉन-लेदर सामग्री जैसे** PU, EVA, **रबर, सिंथेटिक फैब्रिक्स, स्पोर्ट्स वियर सामग्री या बुने हुए कपड़े से फुटवियर बनाती हैं।** **(3) सहायक यूनिट्स – ऐसी इकाइयां जो विशेष रूप से फुटवियर के लिए घटक और सामान जैसे बटन, स्नैप फास्टनर, इन लेकार्ड, बकल, आईलेट्स, हुक, रिवेट, सीक्विन, कढ़ाई की धागा, पत्थर, टॉगल, स्टड, इलास्टिक कपड़ा, गहने, सजावटऔर ज़िप बनातीहैं** **(4) नॉन-लेदर प्रोसेसिंग यूनिट्स – ऐसी इकाइयां जो नॉन-लेदर घट कों (जैसे पॉलीयूरेथेन लेदर) या फुटवियर**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

		मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष पार्ट्स का प्रसंस्करण और उत्पादन करती हैं, जिनमें अपस्टिचिंग यूनिट्स, स्टॉक फिटिंग सुविधाएं,फ्लैनिट फैक्ट्री, मोल्ड फैक्ट्री, गहनों की फैक्ट्री, लेस फैक्ट्री, सोल फैक्ट्री और फुटबेड फैक्ट्री शामिल हैं, जो विशेष रूप से फुटवियर निर्माताओं को सप्लाई करती हैं।
	ii) लेदर और नॉन-लेदर उत्पाद निर्माण यूनिट्स (धारा 2 (ख))	(1) एसेसरीज़ और तैयार उत्पाद – ऐसी इकाइयां जो लेदर या नॉन-लेदर के सामान जैसे हैंडबैग, वॉलेट, पर्स, ट्रैवल गुड्स, दस्ताने, अपहोल्स्ट्री आदि का उत्पादन करते हैं। (2) लेदर के परिधान– ऐसी इकाइयां जो लेदर से बने वस्त्र (गारमेंट्स) का निर्माण करते हैं। (3) सैडलरी और हार्नेस – घुड़सवारी में प्रयुक्त लेदर के उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयाँ, जिनमें काठी (Saddles), लगाम (Bridles), हार्नेस तथा अन्य संबंधित वस्तुएँ सम्मिलित हैं (4) सहायक यूनिट्स – ऐसी इकाइयां जो लेदरऔरनॉन-लेदर के सामान के लिए आवश्यक इनपुट और घटक बनाते हैं, जिनमें रसायन, रंग, तेल, चिपकने वाले पदार्थ, सोल, हील, इनसोल, बकल, ज़िपर, आईलेट, लेस, अलंकरण, अस्तर, धागे, टैग एवं लेबल शामिल हैं।
	(iii) फुटवियर लेदर और नॉन-लेदर मशीनरी निर्माण यूनिट्स (धारा 2 (ग))	औद्योगिक उपक्रम जो मशीनरी (घटक निर्माता सहित) के निर्माण में कार्यरत हों, (केवल संकेतात्मक, संपूर्ण सूची नहीं) - (1) लेदर सिलाई/स्टिचिंग मशीनरी – ऐसी इकाइयाँ जो लेदर के जूते एवं लेदर के उत्पादों की सिलाई, स्टिचिंग तथा असेंबलिंग में प्रयुक्त मशीनों के निर्माण में संलग्न हों (2) उदाहरण -पोस्ट-बेड सिलाई मशीनें, फ्लैट-बेड औद्योगिक सिलाई मशीनें, सिलिंडर-बेडस्टिचिंग मशीनें, ज़िग-ज़ैग लेदर स्टिचर्स इत्यादि (3) लेदर कटिंग और मोल्डिंग मशीनरी – ऐसी इकाइयाँ जो लेदर के अवयवों की कटाई, मोल्डिंग, आकार-निर्धारण तथा निर्माण हेतु मशीनों का निर्माण करती हों

http://shasanadesh.up.gov.in

		(4) उदाहरण -क्लिकिंग प्रेस, हाइड्रॉलिक डाई-कटिंग मशीनें, लेदर मोल्डिंग प्रेस, एम्बॉसिंग मशीनें इत्यादि (5) तकनीकी टेक्सटाइल मशीनरी – ऐसी इकाइयाँ जो जूता निर्माण में प्रयुक्त तकनीकी वस्त्र सामग्री के उत्पादन हेतु मशीनों के निर्माण में संलग्न हों। (6) उदाहरण–फ्लाईनिट, अपरनिटिंग मशीनें, कम्प्यूटरीकृत वार्पनिटिंग मशीनें, शू अपर हेतु फैब्रिक वीविंग लूम्स, टेक्सटाइल लेमिनेटिंग मशीनें इत्यादि। (7) नॉन-लेदर एवं सुरक्षा फुटवियर मशीनरी – ऐसी इकाइयाँ जो विशेष रूप से नॉन-लेदर जूता तथा सुरक्षा जूता निर्माण हेतु मशीनों का निर्माण करती हों। (8) उदाहरण- सोल हेतु पीयू इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, ईवीए सोल मोल्डिंग मशीनें, रबर वल्कनाइजिंग प्रेस, सुरक्षा जूतों हेतु ऑटोमेटेड शू लास्टिंग मशीनें इत्यादि।
	iv) एलाइड फुटवियर और लेदर यूनिट (धारा 2 (ङ))	विनिर्माण इकाइयाँ जहाँ- (1) वार्षिक कारोबार का कम से कम 50% हिस्सा फुटवियर/लेदर उत्पाद विनिर्माण इकाइयों से आता है। (2) संबंधित जूता/लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयों के साथ न्यूनतम 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि का वैध अनुबंध हो। (3) संसाधन अथवा अनुपालन आवश्यकताओं के कारण क्लस्टर के बाहर भी स्थापित की जा सकती हों, किन्तु आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) का अभिन्न अंग हों। उदाहरण (केवल संकेतात्मक, संपूर्ण सूची नहीं): (1) विशेषीकृत सोल निर्माण संयंत्र, (2) आउटसोल/अपर प्रिंटिंग इकाइयाँ, (3) समर्पित जूता पैकेजिंग इकाइयाँ, (4) बड़े पैमाने की टैनिंग इकाइयाँ (अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय विनियमन मानदंडों के अनुरूप), (5) अथवा क्लस्टर के बाहर स्थित विशेषीकृत फिनिशिंग इकाइयाँ।
	v) उत्पाद विकास केंद्र (धारा 2 (च))	ऐसी सुविधाएँ जो नए जूता एवं लेदर डिज़ाइन तैयार करने, प्रोटोटाइप विकसित करने तथा बाज़ार की प्रकर्तियों

http://shasanadesh.up.gov.in

		एवं उपभोक्ता आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद विशेषताओं को परिष्कृत करने में संलग्न हों। उदाहरण (केवल संकेतात्मक, संपूर्ण सूची नहीं): (1) जूता डिज़ाइन स्टूडियो, (2) लेदर उत्पाद डिज़ाइन प्रयोग शालाएँ, (3) प्रोटोटाइप विकास केंद्र।
	vi) अनुसंधान एवं विकास केंद्र (R&D) (धारा 2 (च))	ऐसी सुविधाएँ जो जूता एवं लेदर क्षेत्र में सामग्री अनुसंधान, प्रक्रिया नवाचार, गुणवत्ता सुधार तथा प्रौद्योगिकी विकास पर केंद्रित हों। उदाहरण (केवल संकेतात्मक, संपूर्ण सूची नहीं):- (1) लेदर टैनिंग एवं फिनिशिंग हेतु अनुसंधान एवं विकास केंद्र,(2) जूता सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाएँ, (3) विनिर्माण प्रौद्योगिकी हेतु नवाचार केंद्र, (4) परफॉर्मेंस परीक्षण प्रयोगशालाएँ।
2.1.8	औद्योगिक इकाइयाँ (परियोजना श्रेणियाँ)	इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहनों हेतु पात्र औद्योगिक उपक्रम, जिन्हें निवेश की सीमा, परिचालन स्तर तथा जूता, लेदर एवं नॉन-लेदर मूल्य श्रृंखला में उनकी कार्यात्मक भूमिका के आधार पर विभिन्न परियोजना श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणियाँ इस प्रकार हैं: (1) स्टैंड-अलोन फुटवियर एवं लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयाँ (2) फुटवियर एवं लेदर मशीनरी निर्माण इकाइयाँ (3) मेगा एंकर इकाइयाँ (4) क्लस्टर (5) सहायक / एलाइड फुटवियर एवं लेदर इकाइयाँ
	i.) स्टैंड-अलोन फुटवियर एवं लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयाँ (धारा 5.3.2)	इंडिपेंडेंट रुप से निर्माण इकाइयाँ जिनका पूंजी निवेश ₹50 करोड़ से ₹150 करोड़ के बीच हो और जो निम्नलिखित कार्यों में लगी हों (केवल संकेतात्मक, संपूर्ण नहीं): (1) फुटवियर (लेदर या नॉन-लेदर) का निर्माण (2) लेदर उत्पाद और उनके सहायक सामान का निर्माण (3) इंडिपेंडेंट रुप से कार्यरत हों, क्लस्टर परियोजना का हिस्सा न हों (जैसा कि नीति में परिभाषित है) — एक ही

http://shasanadesh.up.gov.in

		इकाई एक साथ दोनों श्रेणियों के तहत दावे नहीं कर सकती। **(4) अपनी स्वयं की सप्लाई चेन और वितरण नेटवर्क के साथ स्वतंत्र रूप से संचालित हों।**
	ii.) **फुटवियर और लेदर मशीनरी निर्माण इकाई** (धारा 5.3.2)	**मशीनरी निर्माण इकाइयाँ जिनका पूंजी निवेश** ₹50 **करोड़ से** ₹150 **करोड़ के बीच हो और जो निम्नलिखित में शामिल हों (केवल संकेतात्मक, संपूर्ण नहीं) :** **(1) फुटवियर उत्पादन मशीनरी का डिज़ाइन एवं निर्माण।** **(2) लेदर संसाधन उपकरणों का निर्माण।** **(3) फुटवियर और लेदर उद्योग के लिए ऑटो मेशन समाधान का विकास।** **(4) क्षेत्र के लिए परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों का उत्पादन।**
	iii.)**मेगा एंकर इकाई** (धारा 5.3.2)	**बड़े पैमाने की विनिर्माण इकाइयाँ, जिनका पूंजी निवेश** ₹150 **करोड़ से अधिक हो तथा जो इंडिपेंडेंट रुप से स्थापित की गई हों (अर्थात् किसी क्लस्टर का हिस्सा न हों) :** **(1) संलग्न गतिविधियाँ (नीति में परिभाषित विनिर्माण कार्य):** a. **फुटवियर निर्माण (लेदर या नॉन-लेदर)** b. **लेदर और नॉन-लेदर उत्पाद निर्माण** c. **फुटवियर/लेदर मशीनरी निर्माण** **(2) अन्य भूमिकाएँ -** **(3) एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला संचालन हेतु हब (केन्द्र) के रूप में कार्य करना।** **(4) क्लस्टर आपूर्तिकर्ता इकाइयों के लिए प्राथमिक खरीदार के रूप में कार्य करना।**
	iv) **क्लस्टर (फुटवियर और लेदर क्षेत्र विशिष्ट)** (धारा 5.3.2)	**एक समूह निवेश (जहाँ एंकर इकाई (**Anchor Unit**) क्लस्टर प्रस्ताव के साथ आवेदन करेगी अथवा क्लस्टर की सभी कंपनियों द्वारा गठित एसपीवी (**SPV**) आवेदन करेगी)	इस समूह निवेश की न्यूनतम कुल राशि** ₹200 **करोड़ होगी, जिसमें निम्नलिखित अवयव शामिल होंगे:** **(1) क्लस्टर की सभी औद्योगिक इकाइयाँ केवल जूता**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		एवं लेदर क्षेत्र-विशिष्ट हों। संबंधित परियोजनाएँ/इकाइयाँ हो सकती हैं: जूता एवं लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयाँ तथा सहायक/संबद्ध इकाइयाँ (घटक, सहायक सामग्री, रसायन, मशीनरी आदि)। (2) संबद्ध परियोजनाओं/कंपनियों द्वारा समूह निवेश:क्लस्टर की सभी इकाइयाँ पात्र होंगी, चाहे उनका व्यक्तिगत कारोबार/निवेश आकार कुछ भी हो। बशर्ते कि वे सीधे क्लस्टर की "मेगा एंकर इकाई" को आपूर्ति कर रही हों। ऐसे समूह निवेश की न्यूनतम संयुक्त राशि₹200 करोड़ होगी। (3) मेगा एंकर इकाई अनिवार्य होगी: यह एक बड़ी इकाई होगी (₹150 करोड़ या उससे अधिक का निवेश), जो क्लस्टर की अन्य इकाइयों के लिए प्रमुख खरीदार (Primary Buyer) के रूप में कार्य करेगी। (4) एंकर इकाई को आपूर्तिकर्ताओं का प्रमाणीकरण करना होगा: प्रत्येक आपूर्तिकर्ता इकाई द्वारा वस्तुएँ/सेवाएँ प्रदान किए जाने का लिखित प्रमाण पत्र एवं क्रय आदेश (Purchase Orders) की प्रति संलग्न करनी होगी। (5) सभी इकाइयाँ सन्निहित भूमिखंडों (contiguous land parcels) पर स्थित हों। (6) क्लस्टर की व्यक्तिगत इकाइयों के लिए न्यूनतम निवेश अथवा रोजगार सीमा अनिवार्य न हीं होगी।
	v) एलाइड फुटवियर और लेदर इकाई (धारा 5.3.2)	ऐसी निर्माण इकाइयाँ जिनका न्यूनतम निवेश ₹150 करोड़ हो, और जहाँ (केवल संकेतात्मक, संपूर्ण नहीं): (1) वार्षिक कारोबार का कम से कम 50% फुटवियर/लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयों से आता हो। (2) फुटवियर/लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयों के साथ कम से कम 5 वर्ष का वैध अनुबंध हो। (3) विभिन्न संसाधन या अनुपालन आवश्यकताओं के कारण क्लस्टर से बाहर स्थित हो सकती हैं, परन्तु सप्लाई चेन का अनिवार्य हिस्सा हों।
2.1.9	लेटर ऑफ कम्फर्ट (Letter of Comfort)	उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (High-Level Empowered Committee) द्वारा निर्गत एक

http://shasanadesh.up.gov.in

		अनुमोदन दस्तावेज़ जिसके माध्यम से आवेदक को नीति के अंतर्गत स्वीकार्य प्रोत्साहनों की पात्रता प्रदान करता है। (1) **LoC** इस बात की पुष्टि करता है कि परियोजना ने प्रारंभिक पात्रता मानदंड पूरे कर लिए हैं और नीति प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहन लाभ हेतु सिद्धांततः अनुमोदित है। (2) प्रोत्साहनों का वास्तविक वितरण निम्न शर्तों के अधीन होगा: a. निर्धारित पात्र निवेश अवधि (Eligible Investment Period) में प्रतिबद्ध पात्र पूंजी निवेश (Eligible Capital Investment) का पूर्ण होना। b. निर्धारित समय-सीमा में वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन का प्रारंभ होना। c. सभी वैधानिक अनुमतियों, पर्यावरणीय स्वीकृतियों एवं नियामकीय आवश्यकताओं का अनुपालन। d. आवश्यक अभिलेखों जैसे कीपर फॉर्मेन्स रिपोर्ट तथा ऑडिटेड वित्तीय विवरण।
	प्रशासनिक विभाग	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन| यह नीति हेतु प्रशासनिक विभाग है, जिसके मुख्य दायित्व निम्नवत हैं :- (1) संपूर्ण नीति का संरक्षक (Policy Custodian) के रूप में कार्य करना। (2) प्रोत्साहन स्वीकृति प्रस्तावों (Incentive Sanction Proposals) को प्राप्त करना, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी (उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति, जिसकी अध्यक्षता MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग अथवा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (IIDD) के प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी, जैसा भी प्रकरण हो) द्वारा अनुमोदित किया गया हो। (3) मांग पत्रों के आधार पर आवश्यक स्वीकृति आदेशों एवं अभिलेखों सहित स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का नोडल विभागों को निर्गमन।

http://shasanadesh.up.gov.in

		(4) IIDD, **इन्वेस्ट यूपी एवं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के साथ समन्वय में इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहनों हेतु बजट आवंटन एवं उपयोग की पर्यवेक्षण।**
	नीति क्रियान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit - PIU) (**धारा** 6.4)	**प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जिसमें निर्धारित कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ तथा आवश्यक संसाधन होंगे। यह इकाई नामित नोडल एजेंसी के अंतर्गत कार्य करेगी तथाइस नीति के क्रियान्वयन के समन्वय, पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी होगी–** **(1) आवेदकों, नोडल एजेंसी तथा अन्य सरकारी विभागों के बीच प्राथमिक समन्वय (**Primary Interface**) के रूप में कार्य करना।** **(2) आवेदन पत्रों (**LoC**, प्रोत्साहन आदि) की संपूर्ण प्रोसेसिंग की देखरेख करना — प्रारंभिक जांच, अनुशंसा प्राधिकारी एवं स्वीकृति प्राधिकारी के साथ समन्वय सहित।** **(3) स्वीकृत परियोजनाओं, प्रोत्साहन वितरण की स्थिति एवं अनुपालन पर्यवेक्षण रिपोर्टों का केंद्रीकृत डेटाबेस बनाए रखना।** **(4) निवेश, संचालन प्रारंभ तथा प्रदर्शन मानदंडों से संबंधित समय-सीमा के सापेक्षपरियोजना प्रगति को ट्रैक करना।** **(5) चुनौतियों की पहचान करना एवं समयबद्ध तथा पारदर्शी नीति क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करना।** **(नीति का अधिकतम** 3% **बजट - नीति क्रियान्वन हेतु नीति कंटिंजेंसी के लिए के लिए आरक्षित होगा)**
2.1.10	**नोडल एजेंसी** (**धारा** 6.2)	**(1)** MSME **श्रेणी (परिभाषाअनुसार) के अंतर्गत आने वाले निवेश प्रस्तावों हेतु: उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर** **(2)** MSME **सीमा (परिभाषा अनुसार) से अधिक निवेश प्रस्तावों हेतु: इन्वेस्ट यूपी**
2.1.11	**अनुशंसा प्राधिकारी** (Recommending Authority)	**(1) एमएसएमई परिभाषित परियोजनाओं हेतु निवेश प्रस्ताव: आयुक्त एंड निदेशक, उद्योग एवं उद्यम**

http://shasanadesh.up.gov.in

	(धारा 6.6)	प्रोत्साहन निदेशालय - उत्तर प्रदेश, कानपुर (2) एमएसएमई सीमा से अधिक निवेश प्रस्तावों हेतु: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), इन्वेस्ट यूपी (3) अनुशंसा प्राधिकारी (Recommending Authority) अपनी प्राधिकृत समिति (Empowered Committee) का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं अनुशंसा प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। यह समिति प्रस्तावों की जांच एवं मूल्यांकन (Scrutiny & Appraisal) कर उन्हें स्वीकृति प्राधिकारी (अर्थात् उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति–High-Level Empowered Committee) को प्रेषित करेगी।
2.1.12	स्वीकृति प्राधिकारी (Sanctioning Authority) (धारा 6.7)	उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (High-Level Empowered Committee): (1) एमएसएमई परिभाषित परियोजनाओं हेतु निवेश प्रस्तावों के लिए: इसकी अध्यक्षता प्रमुखसचिव /अपर मुख्य सचिव/प्रभारी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा की जाएगी। (2) एमएसएमई सीमा से अधिक निवेश प्रस्तावों हेतु: इन्वेस्ट यूपी निवेश प्रस्तावों की प्रक्रिया हेतु प्राधिकृत स्तर होगा। इस संबंध में अनुमोदन हेतु दिशा-निर्देश इन्वेस्ट यूपी द्वारा पृथक रूप से जारी किए जाएँगे।
2.2 निजी औद्योगिक पार्क		
2.2.1	पात्र निजी औद्योगिक पार्क (धारा 5.2)	पार्क निजी भूमि पर स्थापित होना चाहिए, जिसकी न्यूनतम सन्निहित (contiguous) क्षेत्रफल 25 एकड़ हो
	यूनिट संरचना और भूमि उपयोग सीमा (धारा 5.2.2)	पार्क में न्यूनतम 5 इकाइयाँ होना अनिवार्य है; कोई भी एकल इकाई औद्योगिक भूमि का 80% से अधिक उपयोग नहीं करेगी।
	भूमि उपयोग आरक्षण (धारा 5.2.4)	कुल क्षेत्र फल का 25% हरित क्षेत्र एवं सामान्य अवस्थापना सुविधाओं (Common Infrastructure Facilities) हेतु आरक्षित होना आवश्यक है।
	विकास संरचना (धारा 5.2.5)	कंसोर्टियम को अनुमति होगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	परियोजना पूर्णता की समय सीमा (धारा 5.2.6 एवं 5.2.7)	निर्माण पूर्णता की समय सीमाएँ: (1) 25 एकड़ से 100 एकड़ तक: 5 वर्ष (2) 100 एकड़ से अधिक: 6 वर्ष
	उपयोगिता और विद्युत पहुँच (धारा 5.2.8)	ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत क्रय (Power Purchase) एवं विद्युत वितरण लाइसेंस की अनुमति होगी।
	वैधानिक अनुमोदन आवश्यकताएँ (मानचित्र) (धारा 5.2.9)	अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर (Outside Notified Areas): प्रस्तावित औद्योगिक पार्क के मानचित्रों को आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग द्वारा यूपीएसआईडीए (UPSIDA-bylawas) उपविधियों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा अधिसूचित क्षेत्रों के अंदर (Inside Notified Areas): नक्शे की स्वीकृति संबंधितऔद्योगिक विकास प्राधिकरण / स्थानीय शहरी निकाय की योजना एवं संबंधित भवन-उपविधियों के अनुसार होगी।
2.2.2	पात्र पूंजीगत निवेश (निजी औद्योगिक पार्क) (धारा 5.2)	इस नीति के अंतर्गत निजी औद्योगिक पार्क (जो निजी भूमि पर न्यूनतम 25 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल पर विकसित किए गए हों) के लिए निम्नलिखित मदों पर किए गए व्यय-
	i) अवस्थापना सुविधाएं	(1) औद्योगिक पार्क तक पुल (ROB) – केवल ऐसे पार्कों के लिए जिनका न्यूनतम क्षेत्र 100 एकड़ हो। (2) आंतरिक सड़कें – उद्योग परिसर के अंदर सभी मौसम में चलने योग्य सड़कें। (3) स्ट्रीट लाइटिंग – पार्क के अंदर, प्रकाश व्यवस्था। (4) बाउंड्री वाल–सुरक्षा हेतु बाउंड्री वाल /फेंसिंग। (5) वर्षा जल निकासी – सत ही जल निकासी नेटवर्क और संबंधित सुविधाएं। (6) जल आपूर्ति प्रणाली – वितरण नेटवर्क, वृद्धि, पंपिंग, संग्रहन एवं संबंधित सुविधाएं। (7) सीवरेज प्रणाली –कलेक्शन, यातायात और उपचार सुविधाएं। (8) अपशिष्ट जल उपचार एवं STP अवस्थापना – सामान्य ETP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पाइप लाइन।

http://shasanadesh.up.gov.in

		(9) विद्युत/ऊर्जा/गैस नेटवर्क – वितरण एवं संबंधित सुविधाएं (सबस्टेशन, पाइप लाइन आदि)। (10) संचार नेटवर्क– टेलिकॉम, ब्रॉडबैंड एवं संबंधित अवस्थापना। (11) पार्किंग अवस्थापना– सामान्य पार्किंग क्षेत्र, ट्रक टर्मिनल, लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्र। (12) आपदा प्रबंधन एवं अग्नि सुरक्षा – अग्निशमन स्टेशन/प्रणाली और उपकरण। (13) विशेष अवस्थापना – सेवा वितरण हेतु नए निर्माण और उपकरण जो उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) द्वारा स्वीकृत हों।
	ii) व्यावसायिक एवं वाणिज्यक सुविधाएं	(1) आतिथ्य अवस्थापना – पार्क में होटल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया। (2) स्वास्थ्य सुविधाएं – श्रमिकों के लिए अस्पताल, डिस्पेंसरी या स्वास्थ्य केंद्र। (3) ईंधन एवं चार्जिंग सुविधाएं – पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन। (4) बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं – बैंक शाखाएं, एटीएम, वित्त कार्यालय। (5) प्रशासनिक कार्यालय – पार्क प्रशासन और प्रबंधन के लिए कार्यालय। (6) सामान्य उपयोगिता एवं सहायता सुविधाएं – a. गोदाम और संबंधित भंडारण सुविधाएं b. वे -ब्रिज (लेदर/वेट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए) c. कौशल विकास केंद्र d. कंप्यूटर केंद्र e. उत्पाद विकास केंद्र f. परीक्षण प्रयोग शालाएं g. अनुसंधान एवं विकास केंद्र h. कंटेनर फ्रेट स्टेशन i. मरम्मत कार्य शालाएं (वाहन, मशीनरी) (7) अन्य कोई भी भवन/सुविधा जो उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) द्वारा स्वीकृत हो, विशेष रूप

http://shasanadesh.up.gov.in

		से वे जो पार्क संचालन के लिए आवश्यक हों।
2.2.3	**अपात्र पूंजी निवेश (निजी औद्योगिक पार्क)** (धारा 5.2)	**निजी औद्योगिक पार्क के लिए पात्र स्थायी पूंजीगत निवेश के तहत लाभ गणना के लिए निम्नलिखित लागतों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा -**
		A. **भूमि और साइट की तैयारी** 1. **भूमि का मूल्य – भूमि के खरीद मूल्य या लीज़ प्रीमियम।** 2. **मिट्टी भराई एवं भूमि समतलन – मिट्टी भराई, ग्रेडिंगया समतलन कार्यों पर व्यय।** B.**कंज्यूमेबल एवं नॉन-पूंजीगत वस्तुएं** 3) **ईंधन, उपभोज्य सामग्रीऔर स्टोर – कोई भी आवर्ती परिचालन सामग्री।** 4) **कंप्यूटर और संबंधित ऑफिस फर्नीचर – आईटी हार्डवेयर, कार्यालय फर्नीचर, और फिटिंग जो उत्पादन या पार्क की अवस्थापना का हिस्सा न हों।** 5) **परिवहन वाहन – ऑन-रोड या ऑफ- रोड वाहन।** C. **शुल्क और नॉन-संपत्ति लागत** 6) **निर्माण, स्थापना और कमीशनिंग शुल्क – सेवा लागत के घटक जो पात्र पूंजीगत संपत्ति का निर्माण न हीं करते।** 7) **मशीनरी स्थापना व्यय – स्थापना के लिए श्रम या ठेकेदार खर्च।** 8) **सभी प्रकार के सेवा शुल्क – परामर्श, हैंडलिंग, फ्रेट या संबंधित शुल्क (जिसमें फ्रेट एवं परिवहन खर्च शामिल हैं)** D. **अयोग्य मशीनरी** 9) **प्रयुक्त/नवीनीकृत/पुरानी मशीनरी – जिनमें पहले उपयोग हो चुकी मशीनें या सेकंड हैंड उपकरण शामिल हों।** E. **निगरानी एवं अन्य अपवाद** 10) CCTV **और संबंधित उपकरण – बंद सर्किट कैमरा तथा इसके संबंधित सिस्टमों पर व्यय।**
	कट-ऑफ तिथि (औद्योगिक पार्क के	**(1) यदि औद्योगिक पार्क परियोजना में पहला निवेश नीति की प्रभावी तिथि के बाद किया गया है → तो उस**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

	लिए)	पहले निवेश की प्रारंभ तिथि को कट-ऑफ तिथि माना जाएगा। या (2) यदि औद्योगिक पार्क परियोजना में पहला निवेश नीति की प्रभावी तिथि से पहले किया गया है → तो नीति की प्रभावी तिथि को कट-ऑफ तिथि माना जाएगा। (3) यद्यपि, यदि केवल भूमि अधिग्रहण प्रभावी तिथि से पहले पूरा हुआ है, तो भूमि लागत को छोड़कर अन्य मान्य मदों के लिए पहला निवेश तारीख कट-ऑफ तिथि मानी जाएगी।
	पात्र निवेश अवधि (औद्योगिक पार्क के लिए)	कट-ऑफ तिथि से शुरू होकर नीति के अनुसार पार्क के वैधानिक पूर्णता समय तक: (1) 25 एकड़ या अधिक से लेकर 100 एकड़ से कम: कट-ऑफ तिथि से 5 वर्ष। (2) 100 एकड़ और उससे अधिक: कट-ऑफ तिथि से 6 वर्ष। सभी मान्य निवेश इसी अवधि के अंदर होना चाहिए ताकि इन्हें प्रोत्साहन गणना में शामिल किया जा सके।
	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि (औद्योगिक पार्क के लिए)	अनुमन्य पूंजी अनुदान (Capital Subsidy) का अंतिम अवशेष 10% के निर्गमन हेतु "वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि (Date of Commencement of Commercial Operations)" निम्न में से जो बाद की हो, वही मानी जाएगी, और यह तिथि निर्माण पूर्ण होने के 01 वर्ष के अंदर होनी चाहिए: **1.** ऐसे पार्क जिनमें केवल **5** इकाइयाँ हों: वह तिथि जिस पर पार्क के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयाँ (एक या अधिक) जिनका कुल निवेश ₹50 करोड़ से अधिक हो, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करती हैं। इसकी पुष्टि वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा उपायुक्त उद्योग (Dy. Commissioner, Industries) अथवा पैनल में सम्मिलित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित की जाएगी। **2.** ऐसे पार्क जिनमें **5** से अधिक इकाइयाँ हों:

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		वह तिथि जिस पर पार्क के कुल विक्रेय योग्य औद्योगिक भूखंडों/शेडों में से कम-से-कम 25% औद्योगिक इकाइयों को आवंटित हो चुके हों और वे इकाइयाँ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर चुकी हों। इसकी पुष्टिवाणिज्यकर विभाग के अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा उपायुक्त उद्योग अथवा पैनल में सम्मिलित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित की जाएगी।
2.3 **औद्योगिक इकाइयाँ** **(स्टैंड-अलोन फुटवियर एवं लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयाँ; फुटवियर एवं लेदर मशीनरी निर्माण इकाइयाँ; मेगा एंकर इकाइयाँ; क्लस्टर; एलाइड फुटवियर एवं लेदर इकाइयाँ)**		
2.3.1	(a) **पात्र पूंजीगत निवेश (औद्योगिक इकाइयाँ)** (धारा 5.3)	यह नीति निजी औद्योगिक पार्क को छोड़कर अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू होगी, जैसे कि स्टैंड अलोन फुटवियर एवं लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयाँ, फुटवियर एवं लेदर मशीनरी निर्माण इकाइयाँ, मेगा एंकर इकाइयाँ, क्लस्टर, और एलाइड फुट वियर एवं लेदर इकाइयाँ।
	भूमि	**भूमि की लागत (Cost of Land):** जूता, लेदर अथवा नॉन-लेदर विनिर्माण परियोजना की स्थापना हेतु अधिग्रहीत भूमि की लागत का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा: (1) सरकारी एजेंसियों द्वारा आवंटित भूमि के लिए: यदि भूमि राज्य की औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDA), नोएडा, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग़ाज़ियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथवा अन्य किसी राज्य सरकारी एजेंसी द्वारा आवंटित की जाती है, तो आवेदक द्वारा भुगतान की गई वास्तविक आवंटन कीमत को भूमि लागत माना जाएगा (स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क को छोड़कर)। नोट:यदि इकाई नीति की धारा 5.4.1 के अंतर्गत भूमि लागत सब्सिडी (Land Cost Subsidy) का लाभ लेती

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		है, तो भूमि लागत को पात्र पूंजी निवेश (Eligible Capital Investment) में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसका प्रभाव पूंजीगत सब्सिडी की पात्रता, परियोजना वर्गीकरण तथा सब्सिडी की गणना पर होगा। इकाई को एक मुश्त (one-time) एवं अपरिवर्तनीय (irrevocable) विकल्प चुनना होगा—या तो भूमि लागत सब्सिडी अथवा भूमि लागत को पात्र पूंजी निवेश में सम्मिलित करना। दोनों लाभ एक साथ नहीं लिए जा सकेंगे।
	भवन	परियोजना हेतु निर्मित नई इमारत (New Building): इसमें प्रशासनिक भवन सहित परियोजना के लिए निर्मित नई इमारतें सम्मिलित होंगी। इसकी लागत में निम्नलिखित प्रकार की इमारतें शामिल की जाएँगी: (1) संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना हेतु भवन, (2) अनुसंधान एवं विकास (R&D) गतिविधियों हेतु भवन, (3) इन-हाउस परीक्षण सुविधाएँ (Testing Facilities), (4) भंडारण सुविधाएँ (Storage Facilities), (5) श्रमिकों के हॉस्टल/डॉरमेट्रीज़, (6) कार्यालय भवन तथा प्रशासनिक परिसर। नोट:कुल पूंजी निवेश (Total Capital Investment) का अधिकतम 20% भवन घटक (Building Component) के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
	अन्य निर्माण	परिसर की दीवार एवं गेट, सुरक्षा कक्ष, आंतरिक सड़कें, बोरवेल, जल टैंक, जल एवं गैस के लिए आंतरिक पाइप लाइन नेट वर्क, और अन्य संबंधित निर्माण कार्य।
	संयंत्र एवं मशीनरी	(1) नवीन स्वदेशी/आयातित संयंत्र एवं मशीनरी (Plant & Machinery): (2) जूता, लेदर एवं नॉन-लेदर विनिर्माण हेतु नवीन स्वदेशी/आयातित संयंत्र एवं मशीनरी। (3) यूटिलिटीज़ (Utilities), डाईज़, मोल्ड्स, जिग्स, फिक्स्चर्स एवं इसी प्रकार के उत्पादन उपकरण। (4) परिवहन, फाउंडेशन, एरेक्शन, इंस्टॉलेशन एवं

http://shasanadesh.up.gov.in

		विद्युतिकरण (इलेक्ट्रिफिकेशन) की लागत, जिसमें सब-स्टेशन एवं ट्रांसफॉर्मर लागत भी सम्मिलित है। (5) सस्टेनेबिलिटी निवेश- नॉन-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, कैप्टिव पावर जनरेशन/को-जनरेशन संयंत्र (जहाँ उत्पन्न ऊर्जा का न्यूनतम 75% स्व-उपयोग हेतु हो)। (6) एसटीपी (STP), जल शुद्धिकरण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र। (7) अनुसंधान एवं विकास (R&D) उपकरण। (8) परिसर के अंदर परिवहन हेतु वाहन। (9) सामग्री हैंडलिंग उपकरण (Material Handling Equipment)।
	अवस्थापना सुविधाएं	नई सड़कें, सीवर लाइनें, जल निकासी, पावर लाइनें और पावर फीडर, रेल्वे साइडिंग अवस्थापना जो उपक्रम के परिसर को मुख्य अवस्थापना ट्रंक लाइनों से जोड़ती हैं।
2.3.1 (b)	अयोग्य पूंजीगत निवेश (औद्योगिक इकाइयाँ) (धारा 5.3.1)	कार्यशील पूंजी; गुडविल; प्रारंभिक तथा पूर्व-चालन संबंधी खर्च; पूंजीकृत ब्याज; तकनीक/ तकनीकी ज्ञान प्राप्ति के लिए पूंजीकृत व्यय; परामर्श शुल्क; रॉयल्टी; डिजाइन एवं ड्राइंग; पेटेंट्स, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा अधिकार; विद्युत उत्पादन—नॉन- कैप्टिव उपयोग के, जैसा कि संयंत्र एवं मशीनरी में उल्लेखित है, को अयोग्य पूंजीगत निवेश माना जाएगा।
2.3.2	कट-ऑफ तिथि (औद्योगिक इकाइयों के लिए)	औद्योगिक इकाई में पात्र निवेश निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ तिथि (Cut-off Date) इस प्रकार होगी 1. यदि निवेश नीति की प्रभावी तिथि के बाद शुरू होता है: • परियोजना में पहले निवेश की प्रारंभ तिथि को कट-ऑफ तिथि माना जाएगा। 2. यदि निवेश नीति की प्रभावी तिथि से पहले शुरू हो चुका है: • नीति की प्रभावी तिथि को कट-ऑफ तिथि माना जाएगा। 3. यदि केवल भूमि अधिग्रहित की गई हो और अन्य कोई निवेश नहीं हुआ हो:

http://shasanadesh.up.gov.in

		• भूमि को छोड़कर अन्य किसी भी मान्य निवेश की पहली तिथि को कट-ऑफ तिथि माना जाएगा।
2.3.3	पात्र निवेश अवधि (औद्योगिक इकाइयों के लिए) (धारा 5.3.3.1)	कट-ऑफ तिथि से 3 वर्षों तक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि तक, जो भी पहले हो, सभी परियोजना श्रेणियों के लिए पात्र निवेश अवधि होगी।
2.3.4	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि (औद्योगिक इकाइयों के लिए)	निर्धारित तिथि (Date shall be determined as): • विकल्प 1:वह तिथि जिस दिन आवेदक द्वारा प्रथम जीएसटी चालान (GST Invoice)जारी किया जाता है (ट्रायल प्रोडक्शन को इसमें नहीं माना जाएगा)। इस तिथि की पुष्टि वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा उपायुक्त उद्योग (Dy. Commissioner, Industries) अथवा पैनल में सम्मिलित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित की जाएगी। या • विकल्प 2:बड़े औद्योगिक उपक्रमों (जो MSME सीमा से बाहर हों तथा Industries (Development and Regulation) Act, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता न हो) के लिए – वह तिथि जो औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) पार्ट-B के अनुसार होगी, जिसे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद दाखिल किया जाता है। इस तिथि को भी उपायुक्त उद्योग अथवा पैनल में सम्मिलित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

3. <u>पात्र प्रोत्साहन (औद्योगिक इकाइयों के लिए)</u>

नीति की धारा 5.3.2 में उल्लिखित निवेश मानदंडों के अनुसार पात्र औद्योगिक उपक्रमों को, इस नीति में परिभाषित उनकी श्रेणी (Categorization) एवं क्षेत्रीय स्थिति (Regional Location) के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाएँगे।

इकाइयों को आवेदन के समय ही अपने प्रोत्साहन मार्ग (Incentive Route) का चयन करना होगा तथा एक बार स्वीकृत होने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

3.1 भूमि लागत सब्सिडी(Clause 5.4.1)

3.1.1 भूमि लागत सब्सिडी हेतु पात्रता मानदंड

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

a) **भूमि स्रोत की आवश्यकता: भूमि सब्सिडी केवल उस भूमि पर लागू होगी जो किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गई हो, जैसे (**BIDA, UPSIDA, NOIDA, **ग्रेटर नोएडा**, YEIDA, UPEIDA **आदि), या कोई अन्य राज्य सरकार एजेंसी/विभाग द्वारा आवंटित किए गए हों**

b) **परियोजना श्रेणी पात्रता: इस नीति के तहत परिभाषित सभी परियोजना श्रेणियाँ निम्न तालिका-**1 **में निर्दिष्ट भूमि लागत सब्सिडी के लिए पात्र हैं**

c) **क्षेत्रीय अनुमन्यता– भूमि सब्सिडी दरें उस जनपद की क्षेत्रीय वर्गीकरण (अनुलग्नक** IV **के अनुसार) पर आधारित होंगी जहाँ परियोजना स्थापित की जाएगी।**

तालिका-1: भूमि लागत सब्सिडी दरें

परियोजना श्रेणी	**पश्चिमांचल क्षेत्र (% वास्तविक आवंटन मूल्य)**	**मध्यांचल, पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र (% वास्तविक आवंटन मूल्य)**
स्टैंड-अलोन फुटवियर एवं लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयाँ (₹50-150 **करोड़)**	25%	35%
फुटवियर एवं लेदर मशीनरी निर्माण इकाइयाँ (₹50-150 **करोड़)**		
मेगा एंकर इकाई (₹150 **करोड़ से ऊपर)**	75%	80%
क्लस्टर (न्यूनतम ₹200 **करोड़ सामूहिक निवेश)**		

3.1.2 गणना पद्धति

a) **सब्सिडी आधार: सब्सिडी राज्य सरकार की एजेंसी द्वाराआवंटन के समय निर्धारित वास्तविक आवंटन मूल्य पर गणना की जाएगी।**

a. **अपवादित घटक: निम्नलिखित शुल्क सब्सिडी गणना से बाहर रखे जाएंगे:**

- **प्राधिकरण द्वारा लगाए गए विकास शुल्क**
- **स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क**
- **कानूनी दस्तावेजीकरण शुल्क**

b) **भुगतान का तरीका: औद्योगिक विकास प्राधिकरणों/ अन्य सरकारी विभागों द्वारा इकाइयों के भूमि आवंटन मूल्य पर** Upfront **लैंड सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उक्त लैंड सब्सिडी वितरण / भूमि आवंटन के बाद में प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकरणों को प्रतिपूर्ति की जाएगी |**

c) **गणना सूत्र:**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भूमि लागत सब्सिडी राशि = (वास्तविक आवंटन मूल्य) × (तालिका-1 के अनुसार लागू सब्सिडी प्रतिशत)

3.1.3 आवेदन प्रक्रिया

इस नीति के अंतर्गत भूमि लागत सब्सिडी प्राप्त करने की इच्छुक आवेदक इकाई को अपना आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

(1) आवेदन में स्पष्ट रूप से "भूमि लागत सब्सिडी मार्ग" का चयन अंकित करना अनिवार्य होगा।

(2) आवेदन के साथ एक स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि भूमि लागत को पात्र पूंजी निवेश की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा (अनुलग्नक–1)

3.1.4 **आवेदन प्रकरणों की प्रारंभिक परीक्षण प्रक्रिया समय-सीमा**

प्राप्त आवेदनों को परियोजना श्रेणी के अनुसार मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण प्रक्रिया किया जाएगा:

(1) एमएसएमई श्रेणी की परियोजनाओं हेतु:

a. **अनुशंसा प्राधिकारी (जैसा कि परिभाषाओं में ऊपर दिया गया है) के अंतर्गत गठित मूल्यांकन समिति, जिसकी अध्यक्षता आयुक्त एवं उद्योग निदेशक करेंगे, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्य दिवस के अंदर आवेदन का निस्तारण करेगी।**

b. **यह मूल्यांकन समिति मूल्यांकन प्रतिवेदन को उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (स्वीकृति प्राधिकारी) के समक्ष नीति के अंतर्गत समीक्षा एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।**

(2) एमएसएमई श्रेणी से ऊपर की परियोजनाओं हेतु:

a. **अनुशंसा प्राधिकारी के अंतर्गत गठित मूल्यांकन समिति, जिसकी अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), इन्वेस्ट यूपी करेंगे, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्य दिवसके अंदर आवेदन का निस्तारण करेगी।**

b. **यह मूल्यांकन समिति मूल्यांकन प्रतिवेदन को उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (स्वीकृति प्राधिकारी) के समक्ष नीति के अंतर्गत समीक्षा एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।**

<u>3.1.5 उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की समीक्षा</u>

(1) एमएसएमई श्रेणी की परियोजनाओं हेतु -

उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति आवेदन को भूमि लागत सब्सिडी हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) प्रदान करने के लिए, अनुशंसा प्राधिकारी से प्राप्त होने की तिथि से 20 कार्य दिवसों के अंदर स्वीकृति, अस्वीकृति अथवा अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए विचार करेगी।

(2) एमएसएमई श्रेणी से ऊपर की परियोजनाओं हेतु -

इन्वेस्ट यूपी द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास विभाग द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की जाएगी,आवेदन को भूमि लागत सब्सिडी हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC**) प्रदान करने के लिए, अनुशंसा प्राधिकारी से प्राप्त होने की तिथि से** 20 **कार्य दिवसों के अंदर स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेगी।**

3.1.6 औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए प्राधिकार पत्र

संबंधित उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति की स्वीकृति के आधार पर, नोडल एजेंसी द्वारा संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA, UPSIDA, NOIDA, **ग्रेटर नोएडा,** YEIDA, UPEIDA, GIDA **या कोई अन्य राज्य सरकार एजेंसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भूमि सब्सिडी प्रदान करने के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा (अनुलग्नक-**4)

3.1.7 औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन की प्रक्रिया-

औद्योगिक विकास प्राधिकरण,नोडल एजेंसी द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र में उल्लिखित भूमि सब्सिडी के दृष्टिगत नेट आवंटन दर पर आवेदक इकाई के प्रकरण को भूमि आवंटन के लिए प्रोसेस करेगा|

भूमि आवंटन इस नीति के अनुसार संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण या सरकार एजेंसी/ विभाग द्वारा भूमि सब्सिडी के बाद नेट आवंटन दर पर किया जाएगा, बशर्ते कि आवेदक भूमि आवंटन के लिए संबंधित प्राधिकरण के नियम और शर्तों का पालन करता हो |

3.1.8 भूमि बंधक एवं सुरक्षा प्राविधान

a) **बंधक अनिवार्यता (**Mortgage Requirement):

वे परियोजनाएँ जोभूमि लागत सब्सिडी प्राप्त करती हैं, उन्हें आवंटित भूमि को संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथवा अन्य किसी सरकारी एजेंसी/ विभाग के पक्ष में बंधक करना अनिवार्य होगा। यह बंधक तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इकाई परियोजना आवेदन में अंकित समय-सीमा अथवा नीति में अनुमन्य समय-सीमा के अनुसारवाणिज्यिक उत्पादन/संचालन प्रारंभ नहीं कर देती।

b) **सुरक्षा अवधि (**Security Period):

बंधक तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि -

- **वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ न हो जाए, और**
- **परफॉरमेंस अनुपालन प्रतिवेदन (अनुलग्नक**–5**) नोडल एजेंसी को प्रस्तुत न कर दिया जाए।**

नोडल एजेंसी द्वारा उपर्युक्त की पुष्टि किए जाने पर, वह औद्योगिक विकास प्राधिकरण/अन्य सरकारी एजेंसी/ विभाग को भूमि बंधक मुक्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर सकेगी।

3.1.9 अनुपालन न होने की स्थिति में वसूली की प्रक्रिया

a) **व्यावसायिक उत्पादन में विफलता: यदि आवेदक नीति निर्देशों और संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नियमों में परिभाषित पात्र निवेश अवधि (**EIP**) के अंदर व्यावसायिक उत्पादन या संचालन शुरू करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण कंपनी या इकाई से भूमि**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

आवंटन की तारीख से 12% वार्षिक चक्र वृद्धि ब्याज सहित Upfront भूमि लागत सब्सिडी की राशि वसूल करेगा।

b) ECI सीमा से कम निवेश की स्थिति: यदि वास्तविक निवेश, प्रतिबद्ध पात्र पूंजी निवेश (Eligible Capital Investment)से 25% से अधिक कम होता है, तो अनुपातिक भूमि सब्सिडी राशि की वसूली की जाएगी तथा उस पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा।

3.1.10 भूमि लागत सब्सिडी हेतु वांछित अभिलेख-

a) आवेदन के साथ अनिवार्य अभिलेख -

(1) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट- भूमि आवश्यकता विश्लेषण सहित

(2) परियोजना की व्यवहार्यता दर्शाने वालेवित्तीय प्रक्षेपण(Financial Projections)

(3) भूमि लागत सब्सिडी मार्ग के चयन के चयन संबंधीस्व-घोषणा पत्र

(4) भूमि लागत कोपात्र पूंजी निवेश (Eligible Capital Investment - ECI) की गणना में सम्मिलित किये जाने का सम्बन्धी Undertaking.

(5) अग्रिम भूमि सब्सिडी (Upfront Land Subsidy) की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की स्वीकृति

(6) पर्यावरणीय स्वीकृति (यदि लागू हो)

(7) प्रस्तावित परियोजना का ले आउट प्लान

b) स्वीकृति के बाद के दस्तावेज़:

(1) औद्योगिक विकास प्राधिकरण से भूमि आवंटन पत्र

(2) पंजीकृत बिक्री विलेख/किरायानामा

(3) भूमि आवंटन मूल्य की भुगतान रसीदें

(4) वैधानिक प्राधिकरणों से अनुपालन प्रमाण पत्र (Compliance Certificates)

3.2 पूंजीगत सब्सिडी (Clause 5.4.2)

3.2.1 उद्देश्य

पूंजीगत सब्सिडी का उद्देश्य निर्माण सुविधाओं की स्थापना में वित्तीय बोझ को कम करना और फुटवियर, लेदर और नॉन-लेदर क्षेत्र के विकास के लिए संयंत्र, मशीनरी और अवस्थापना में निवेश को प्रोत्साहित करना है।

प्रोत्साहन विकल्प: इकाइयों को भूमि लागत सब्सिडी प्राप्त करने या पात्र पूंजी निवेश गणना में भूमि लागत को शामिल करने के मध्य अपरिवर्तनीय निर्णय लेना होगा| यदि इकाई भूमि लागत सब्सिडी का लाभ लेती है, तो पात्र पूंजी निवेश में भूमि की लागत को अनुमन्य पूंजीगत सब्सिडी राशि या परियोजना श्रेणी के निर्धारण के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

3.2.2 पूंजीगत सब्सिडी हेतु आवेदन प्रक्रिया

तालिका-2: पूंजीगत सब्सिडी

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

श्रेणी	पश्चिमांचल क्षेत्र	मध्यांचल, पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र
स्टैंड-अलोन फुटवियर एवं लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयाँ	पात्र पूंजीगत निवेश (ECI) का 20%; 5 वर्षों में समान किस्तों में; अधिकतम: ₹30 करोड़; वार्षिक सीमा: ₹6 करोड़	पात्र पूंजीगत निवेश (ECI) का 30%; 5 वर्षों में समान किस्तों में; अधिकतम: ₹45 करोड़; वार्षिक सीमा: ₹9 करोड़
फुटवियर एवं लेदर मशीनरी निर्माण इकाइयाँ	पात्र पूंजीगत निवेश (ECI) का 20%; 5 वर्षों में समान किस्तों में; अधिकतम: ₹30 करोड़; वार्षिक सीमा: ₹6 करोड़	पात्र पूंजीगत निवेश (ECI) का 30%; 5 वर्षों में समान किस्तों में; अधिकतम: ₹45 करोड़; वार्षिक सीमा: ₹9 करोड़
एलाइड इकाई	पात्र पूंजीगत निवेश (ECI) का 25%; 5 वर्षों में समान किस्तों में; अधिकतम: ₹125 करोड़; वार्षिक सीमा: ₹25 करोड़	
मेगा एंकर इकाई	पात्र पूंजीगत निवेश (ECI) का 30%; 5 वर्षों में समान किस्तों में; अधिकतम: ₹600 करोड़; वार्षिक सीमा: ₹120 करोड़ (प्रत्येक इकाई)	पात्र पूंजीगत निवेश (ECI) का 35%; 5 वर्षों में समान किस्तों में; अधिकतम: ₹700 करोड़; वार्षिक सीमा: ₹140 करोड़ (प्रत्येक इकाई)
क्लस्टर	पात्र पूंजीगत निवेश (ECI) का 30%; 5 वर्षों में समान किस्तों में; अधिकतम: ₹600 करोड़; वार्षिक सीमा: ₹120 करोड़ (प्रत्येक इकाई)	पात्र पूंजीगत निवेश (ECI) का 35%; 5 वर्षों में समान किस्तों में; अधिकतम: ₹700 करोड़; वार्षिक सीमा: ₹140 करोड़ (प्रत्येक इकाई)

3.2.2.1 लेटर ऑफ कम्फ़र्ट (LoC) हेतु आवेदन

आवेदक, जो पूंजीगत सब्सिडी मार्ग चुनता है, वह निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन नोडल एजेंसी को निम्नलिखित अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया जाएगा:

LoC **जारी करने हेतु आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ (विस्तृत ऑनलाइन प्रपत्र):**

i. अनुमानित निवेश विवरण – चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित, जिसमें भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, अन्य निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं में घटक-वार आवंटन का विवरण हो।

ii. वित्त पोषण (Means of Financing) – चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित, जिसमें इक्विटी, ऋण एवं अन्य वित्तीय स्रोतों का विवरण शर्तों सहित हो।

iii. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) – चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित, जिसमें तकनीकी व्यवहार्यता, बाज़ार विश्लेषण, वित्तीय प्रक्षेपण, रोजगार योजना एवं क्षेत्र-विशिष्ट विनिर्माण विवरण सम्मिलित हो।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iv. सर्टिफिकेट ऑफ इन्कॉरपोरेशन (Certificate of Incorporation) की प्रति – विधिक इकाई का दर्जा स्थापित करने हेतु।

v. मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन (MoA) एवं आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन (AoA) की प्रति –

व्यवसाय की प्रकृति एवं शासकीय संरचना को परिभाषित करने हेतु।

vi. निदेशकों के पैन कार्ड / आधार कार्ड की प्रतियाँ – पहचान सत्यापन हेतु।

vii. बोर्ड संकल्प (Board Resolution) की प्रति – आवेदन प्रस्तुत करने एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को नामित करने हेतु।

viii. स्व-घोषणा प्रपत्र (Self-Declaration Form) – दी गई जानकारी की शुद्धता एवं अनुपालन प्रतिबद्धताओं की पुष्टि हेतु।

ix. औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (IEM) अथवा औद्योगिक लाइसेंस (IL) की प्रति – नियामकीय अनुपालन दर्शाने हेतु।

x. **नोडल एजेंसी द्वारा अन्य वांछित अभिलेख।**

3.2.2.2 परियोजना वर्गीकरण एवं पात्र पूंजीनिवेश (ECI) निर्धारण

परियोजना श्रेणी का निर्धारण चयनित मार्ग के अनुसार पात्र पूंजी निवेश (ECI**) की कुल गणना के आधार पर किया जाएगा –**

मार्ग अ – पूंजी निवेश मार्ग (Capital Investment Route**):**

• यदि अग्रिम भूमि सब्सिडी (Upfront Land Subsidy**) नहीं ली जाती है, तो भूमि लागत (स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क को छोड़कर) को** ECI **गणना में एक पृथक अनुमन्य घटक के रूप में शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि भूमि इस नीति की प्रभावी तिथि के बाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा आवंटित की गई हो।**

अन्य घटक धारा 2.3.1 (a)**के अनुसार सम्मिलित होंगे।**

मार्ग ब – भूमि सब्सिडी मार्ग (Land Subsidy Route**):**

• यदि निवेशक भूमि सब्सिडी का विकल्प चुनता है, तो भूमि लागत को ECI **गणना से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा तथा परियोजना का वर्गीकरण केवल नॉन-भूमि निवेश घटकों के आधार पर किया जाएगा।**

ECI का निर्धारण सीधे परियोजना श्रेणी वर्गीकरण (स्टैंड-अलोन, मेगा एंकर, क्लस्टर, संबद्ध इकाई, या मशीनरी निर्माण) को प्रभावित करता है तथा उसी के अनुसार परियोजना पर लागू होने वाली सब्सिडी दरें एवं अधिकतम सीमा (Ceilings) निर्धारित होती हैं।

3.2.2.3 पूंजीगत सब्सिडी की गणना एवं वितरण विधि

(1) सब्सिडी गणना सूत्र

वार्षिक पूंजीगत सब्सिडी = (पात्र पूंजी निवेश (ECI**) का लागू सब्सिडी प्रतिशत ÷** 5 **वर्ष)**

नीति प्रावधानों में निर्दिष्ट वार्षिक सीमा के अधीन:

a. **स्टैंड-अलोन इकाइयाँ: वार्षिक सीमा** ₹6 **करोड़ (पश्चिमांचल) /** ₹9 **करोड़ (अन्य क्षेत्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

b. **सहायक इकाइयाँ: वार्षिक सीमा** ₹25 **करोड़ (सभी क्षेत्र)**

c. **मेगा एंकर/क्लस्टर: वार्षिक सीमा** ₹120 **करोड़ (पश्चिमांचल) /** ₹140 **करोड़ (अन्य क्षेत्र)**

(2) पूंजीगत सब्सिडी कट-ऑफ तिथि से पांच वर्षों की अवधि में पांच समान वार्षिक किस्तों में निम्नवत दी जाएगी:

चरण 1: **प्रथम किस्त:**

i. **प्रतिबद्ध पात्र पूंजी निवेश का न्यूनतम** 50%**निवेश करने पर**

चरण 2: **द्वितीय किस्त (प्रोत्साहन के प्रोराटा गणना का प्रावधान – केवल दूसरी किस्त में):**

i. **प्रतिबद्ध पात्र पूंजी निवेश का न्यूनतम** 80% **निवेश करने पर**

चरण 3: **तृतीय किस्त:**

i. **प्रतिबद्ध पात्र पूंजीनिवेश का** 100% **निवेश करने पर**

चरण 4: **चतुर्थ किस्त:**

i. **प्रतिबद्ध पात्र पूंजी निवेश का** 100% **निवेश करने पर, और**

ii. **प्रतिबद्ध क्षमता उपयोग के साथ व्यावसायिक संचालन का** 30% **होना**

चरण 5: **पंचम किस्त:**

i. **प्रतिबद्ध पात्र पूंजी निवेश का** 100% **पूरा होना, और**

ii. **प्रतिबद्ध क्षमता उपयोग के साथ व्यावसायिक संचालन का** 50% **होना**

सभी चरणों के लिए वैधानिक आवश्यकताओं का निरंतर अनुपालन - वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट और ऑडिट किया गया वित्तीय विवरण जमा करना अनिवार्य है।

3.2.2.4 सब्सिडी वितरण हेतु आवेदन प्रक्रिया

a) **चरण-**1 **वांछित अभिलेख**

पहली किस्त के वितरण के लिए चरण-1 **आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ होने के** 90 **कार्य दिवसों के अंदर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए:**

i. **चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वास्तविक निवेश विभाजन, जिसमें सहायक चालान, भुगतान रसीदें और संपत्ति सत्यापन रिपोर्ट शामिल हों**

ii. **चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित संयंत्र एवं मशीनरी का विवरण, जो स्थापना, कमीशनिंग और परिचालन स्थिति की पुष्टि करता हो**

iii. **स्व-घोषणा - वास्तविक कार्यान्वयन स्थिति को दर्शाने के लिए अद्यतन**

iv. **वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ प्रमाण पत्र**

चरण-2 **वांछित अभिलेख**

चरण-2 **आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन के** 12 **माह बाद या वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने के बाद (जो भी बाद में हो) निम्नलिखित अभिलेख के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए:**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

i. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कच्चे माल की खरीद का विवरण, जोआपूर्ति श्रृंखला की स्थापना और परिचालन दक्षता को दर्शाता हो

ii. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वास्तविक उत्पादन विवरण, जिसमें क्षमता उपयोग, उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार प्रदर्शन के डेटा शामिल हों

iii. यदि निर्यात गतिविधियाँ की गई हों, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित निर्यात विवरण

iv. रोजगार का विवरण, जिसमें EPF रिकॉर्ड शामिलहों, जो स्थिर रोजगार सृजन और अनुपालन की पुष्टि करें

v. वार्षिक ऑडिट की गई वित्तीय विवरणऔर वैधानिक अनुपालन प्रमाण पत्र

3.2.2.5 सत्यापन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया

(1) निवेश सत्यापन प्रक्रिया

नोडल एजेंसी पूंजी निवेश की जाँच एवं प्रमाणी करण की व्यवस्था पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड इंजीनियर्स एवं वैल्यूअर्स अथवा ऐसे एजेंसियों के माध्यम से करेगी जिन्हें इस प्रकार की गतिविधियों का पूर्व अनुभव हो। इस सत्यापन में भौतिक स्थल निरीक्षण शामिल होगा ताकि परिसंपत्तियों (Assets) की उपस्थिति, परिचालन स्थिति तथा अनुमोदित विनिर्देशों (Specifications) केअनुपालन की पुष्टि की जा सके।

निवेश की प्रामाणिकता, उचित उपयोग, उत्पादन प्रणालियों के साथ एकीकरण तथा प्रतिबद्ध परियोजना मानकों के अनुरूपता का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन समिति करेंगे और उसके बाद ही वितरण अनुमोदन (Disbursement Approval) की अनुशंसा करेंगे।

(2) परफॉरमेंस मॉनिटरिंग आवश्यकताएँ

1. क्षमता उपयोग पर्यवेक्षण : वास्तविक उत्पादन और स्थापित क्षमता के अनुपात के रूप में गणना की जाती है, जिसे उत्पादन रिकॉर्ड, बिक्री डेटा और तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से सत्यापित किया जाता है।

2. रोजगार सत्यापन: EPF रिकॉर्ड, रोजगारअनुबंध, हाजिरी रजिस्टर और श्रम विभाग के अनुपालन प्रमाण पत्र के माध्यम से पुष्टि की जाती है।

3. अनुपालन मूल्यांकन - पर्यावरण, श्रम, कर और उद्योग-विशिष्टनियामक सम्बन्धी व अभिलेखों का सत्यापन

(3) भुगतान के लिए समिति समीक्षा

वितरण संबंधी की प्रक्रिया, LoC स्वीकृति की प्रक्रिया की तरह ही चालन करेंगी:

a. सभी किस्तों का वितरण स्वीकृति प्राधिकारी (उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति) की अनुमति से ही किया जाएगा, जो संबंधित नोडल–अनुशंसा प्राधिकारी की अनुशंसा के पश्चात प्रदान की जाएगी।

b. समिति का मूल्यांकन मुख्य रूप से परफॉरमेंस उपलब्धि, अनुपालन बनाए रखना और सतत परिचालन व्यवहार्यता पर आधारित होगा, जिसके उपरांत ही वितरण को स्वीकृति दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जाएगी।

(4) परफॉरमेंस-आधारित समायोजन

यदि वास्तविक प्रदर्शन प्रतिबद्ध स्तर से कम रहता है तो पूंजीगत सब्सिडी की किस्तों में अनुपातिक कटौती की जा सकती है:

1. क्षमता उपयोग 60% से कम होने पर: किस्त में अनुपातिक कटौती की जाएगी।
2. रोज़गार में 30% से अधिक कमी होने पर: किस्त में 25% कटौती की जाएगी।
3. अनुपालन उल्लंघन होने पर: प्रोत्साहन वितरण तब तक निलंबित रहेगा जब तक अनुपालन बहाल नहीं हो जाता।
4. विवेकाधीन छूट : नोडल एजेंसी/प्राधिकृत समिति उपर्युक्त प्रदर्शन-आधारित कटौतियों में विवेकानुसार छूट प्रदान कर सकती है, यदि दैवीय आपदा (Force Majeure), प्राकृतिक आपदा, असाधारण परिस्थितियाँ, या अन्य मानवीय नियंत्रण से बाहर घटनाएँ घटित हों। ऐसी स्थिति में छूट का कारण उचित रूप से अभिलेखित (Recorded with Justification) किया जाएगा।

(5) वसूली और प्रवर्तन

यदि प्रतिबद्ध मानकों का अनुपालन नहीं किया जाता है या असत्य जानकारी प्रदान की जाती है, तो वितरित सब्सिडी की वसूली 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याजसहित वितरण तिथि से की जाएगी |

(6) रिकॉर्ड रख रखाव

सभी लाभार्थी इकाइयों को निवेश दस्तावेज़, उत्पादन रिकॉर्ड, रोजगार रजिस्टर, अनुपालन प्रमाणपत्र और परफॉरमेंस डेटा सहित व्यापक रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे, ताकि प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन अवधि और उसके बाद पांच वर्षों तक समीक्षा की जा सके। नोडल एजेंसी सभी आवेदन, स्वीकृतियाँ, भुगतान, और अनुपालन पर्यवेक्षण के विस्तृत रिकॉर्ड रखेगी ताकि पारदर्शिता, जवाब देही, और नीति मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके।

3.3 स्टाम्प शुल्क छूट(Clause 5.4.3)

3.3.1 स्कोप

इस नीति के अंतर्गत सभी पात्र इकाइयों को स्टांप शुल्क में 100% छूट प्रदान की जाएगी| यह छूट प्रारंभिक तथा परवर्ती दोनों प्रकार की भूमि खरीद/लीज़ डीड पर लागू होगी, बशर्ते किये डीड पात्र परियोजना हेतु नीति की प्रभावी अवधि के दौरान निष्पादित की गई हों|

3.3.2 क्रियान्वयन प्रक्रिया

3.3.2.1 बैंक गारंटी

यह छूट बैंक गारंटी के सापेक्ष पर दी जाएगी, जिसकी समतुल्य राशि औद्योगिक इकाई द्वारा जमा कराई जाएगी। व्यावसायिक उत्पादन शुरू होते ही बैंक गारंटी को अवमुक्त कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज़:

a) स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट की प्रति

b) इस नीति के तहत जारी किए गए LoC की प्रति

c) समतुल्य स्टांप शुल्क राशि के लिए बैंक गारंटी (यदि लागू हो)

d) निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेज़ का प्रारूप

e) स्वीकृत मापन कर्ताओं से मूल्यांकन रिपोर्ट (यदि लागू हो)

3.3.3 बैंक गारंटी मुक्त करने की प्रक्रिया

औद्योगिक इकाई द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी व्यावसायिक उत्पादन शुरू होते ही अवमुक्त कर दी जाएगी।

3.4 रोज़गार सृजन प्रोत्साहन (Clause 5.4.4)

इस नीति के अंतर्गत पात्र इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि तक कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund – EPF) में इकाई द्वारा जमा किए गए नियोक्ता अंशदान (Employer's Contribution)का100% प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

यह प्रोत्साहन प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम ₹50 करोड़ की सीमा तक उपलब्ध होगा।

3.4.1 रोजगार श्रेणियाँ

यह प्रोत्साहन उन प्रत्यक्ष कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के ईपीएफ (Employees' Provident Fund) अंशदान को कवर करेगा, जो कंपनी की पे-रोल पर हों और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आते हों। इसमें निम्न प्रकार के कर्मचारी सम्मिलित हैं:

(1) स्थायी कर्मचारी: जो सीधे कंपनी की पे-रोल पर कार्यरत हों।

(2) संविदा कर्मचारी: जिन्हें लाइसेंसधारी/प्राधिकृत वेंडर के माध्यम से नियोजित किया गया हो, बशर्ते कि:

a. ऐसे श्रमिकों का ईपीएफ अंशदान विधिक आवश्यकताओं के अनुसार या तो वेंडर द्वारा उसके EPF कोड के अंतर्गत या कंपनी द्वारा अपने EPF कोड के अंतर्गत जमा किया गया हो।

b. कंपनी (प्रधान नियोक्ता) वेंडर-वार रोजगार अभिलेखों के साथ ऐसे अंशदानों का प्रमाणित साक्ष्य (चालान/रिटर्न) प्रस्तुत करे।

सभी आच्छादित कर्मचारियों हेतु शर्तें:

(1) वैध रोजगार अनुबंध (Employment Contract) होना अनिवार्य।

(2) वैधानिक न्यूनतम वेतन दरों के बराबर या उससे अधिक वेतन का भुगतान।

(3) कंपनी की नीतियों एवं श्रम कानूनों के अनुरूप नियमित उपस्थिति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अपवर्जन (Exclusions):

(**1) औपचारिक अनुबंध के बिना आकस्मिक श्रमिक (**Casual Labourers)

(**2) कंसल्टेंट्स/सलाहकार (**Consultants/Advisors)

(**3) ऐसे श्रमिक जो वैधानिक छूट अथवा वेतन/सीमा प्रतिबंधों के कारण ईपीएफ के अंतर्गत आच्छादित नहीं होते।**

3.4.2 **वितरण प्रक्रिया एवं सीमा**

यह प्रोत्साहन वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से पाँच वर्षों तक वार्षिक प्रतिपूर्ति (Annual Reimbursement) **के आधार पर देय होगा।**

प्रोत्साहन अवधि में अधिकतम ₹50 **करोड़ तक की सीमा तक प्रोत्साहन राशि सीमित होगी।**

आवश्यक अभिलेख:

a) **ईपीएफ चालान एवं भुगतान रसीदें (प्रत्येक तिमाही की) जिनमें वास्तविक जमा राशि का विवरण हो।**

b) **इकाई द्वारा प्रमाणित कर्मचारी-वार** EPF **योगदान विवरण**

c) **रोज़गार रजिस्टर, जिसे संबंधित श्रम विभाग अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।**

d) **वेतन रजिस्टर एवं उपस्थिति अभिलेख, पात्र कर्मचारियों के सत्यापन हेतु।**

e) EPFO **खातों में** EPF **भुगतान लेन देन दिखाने वाले बैंक स्टेटमेंट**

f) **वैधानिक प्राधिकरणों से अनुपालन प्रमाणपत्र जो श्रम कानूनों के पालन की पुष्टि करते हों।**

3.5 प्रशिक्षण प्रोत्साहन(Clause 5.4.5)

3.5.1 सब्सिडी दरें एवं लाभार्थी श्रेणियाँ

फुटवियर और लेदर उद्योग से संबंधित तकनी की पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर, इकाइयां सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रति प्रशिक्षु पाठ्यक्रम शुल्क का 30% **तक की प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं, जिसकी अधिकतम सीमा** ₹15,000 **निर्धारित है। यह प्रोत्साहन इकाइयों द्वारा कार्यबल क्षमताओं के विकास में किए गए निवेश को मान्यता देती है और निरंतर कौशल वृद्धि को प्रोत्साहित करती है।**

महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों, और विकलांग लाभार्थियों के लिए, सब्सिडी राशि प्रति प्रशिक्षु ₹20,000 **होगी, जो समावेशी कार्यबल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर समर्थन प्रदान करती है और इकाइयों को इन विशेष वर्गों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है।**

3.5.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रेणियाँ

इकाइयां दो विभिन्न प्रशिक्षण दृष्टिकोणों के लिए सब्सिडी का दावा कर सकती हैं। पहला दृष्टिकोण आउटसोर्स किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का है, जिसमें इकाइयां अपने कर्मचारियों को फुटवियर और लेदर उद्योग से संबंधित तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले बाहरी प्रशिक्षण केंद्रों में भेजती हैं। दूसरी श्रेणी इकाई-चालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल करती

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

है, जो कंपनियाँ स्वयं अपने संस्थानों में या समर्पित प्रशिक्षण व्यवस्थाओं के माध्यम से आयोजित करती हैं। दोनों प्रकार के कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट मिशनऔर NSDC द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

दोनों श्रेणियों में विशेष रूप से फुटवियर और लेदर उद्योग संचालन से संबंधित तकनीकी पाठ्यक्रमों की सफलतापूर्वक पूर्णता आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि प्रशिक्षण में किया गया निवेश सीधे क्षेत्र-सम्बंधित कौशल विकास और संचालन दक्षता वृद्धि में योगदान दे रहा है।

3.5.3 आवेदन प्रक्रिया

3.5.3.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम पंजीकरण एवं स्वीकृति

जो इकाइयाँ प्रशिक्षण सब्सिडी का लाभ लेना चाहती हैं, उन्हें कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व अपने प्रशिक्षण उपक्रमों का सूचित नोडल एजेंसी को सूचित कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु आवश्यक विवरण:

(1) विस्तृत प्रशिक्षण योजना (Detailed Training Plan)

(2) प्रतिभागियों के चयन मानदंड

(3) पाठ्य क्रम सामग्री (Curriculum Content)

(4) आउटसोर्स किए गए कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण प्रदाता का विवरण

(5) इकाई-आधारित कार्यक्रमों के लिए प्रमाणीकरण दस्तावेज़

3.5.3.2 सब्सिडी दावा

इकाइयों को प्रशिक्षणपूर्णता के 60 दिनों केअंदर सब्सिडी दावों(Claims) को प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ व्यापक दस्तावेज़ शामिल हों - प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाणपत्र, न्यूनतम भागीदारी आवश्यकताओं को दर्शाने वाले उपस्थिति रिकॉर्ड, सफल पूर्णता की पुष्टि करने वाले मूल्यांकन परिणाम, और सब्सिडी गणना के लिए विस्तृत लागत अभिलेख उपलब्ध करने होंगे।

3.6 विद्युत टैरिफ प्रोत्साहन**(Clause 5.4.6)**

3.6.1 स्कोप

लाइसेंस प्राप्त यूटिलिटीज से क्रय की गई बिजली के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत की तिथि से पांच वर्षों तक प्रति बिल यूनिट (KWH) रुपये 2.00 की दर से विद्युत टैरिफ सब्सिडी पात्र होगी।

यह सब्सिडी प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम ₹60 लाख की सीमा के साथ संचालित होगी |

3.6.2 पात्रता मान दंड एवं प्रतिबंध

यह सब्सिडी केवल लाइसेंस प्राप्त यूटिलिटीजसे क्रय की गई बिजली पर ही लागू होती है। इस हेतु लाइसेंस प्राप्त यूटिलिटीज में राज्य विद्युत बोर्ड और उपयुक्त नियामक प्राधिकरण औरअ टैरिफ ढांचे के तहत संचालित वितरण कंपनियाँ सम्मिलित होंगी |इकाइयों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

को इस प्रोत्साहन ढांचे के तहत सब्सिडी लाभ के लिए मानक उपयोगिता बिलिंग व्यवस्था, उचित मीटरींग, बिलिंग दस्तावेज़ और भुगतान अनुपालन के माध्यम से विद्यूत के क्रय को प्रमाणित करना होगा।

अपवाद: कैप्टिव पावर प्लांट से खपत की गई बिजली या ओपन एक्सेस व्यवस्थाओं के माध्यम से खरीदी गई बिजली पर विद्युत टैरिफ सब्सिडी लागू नहीं होगी।

3.6.3 आवेदन प्रक्रिया

3.6.3.1 सब्सिडी गणना एवं दावा प्रक्रिया

इकाइयों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 60 दिनों के अंदर विद्युत टैरिफ सब्सिडी के लिए वार्षिक आवेदन जमा करना होगा, जिसमें बिजली खपत डेटा और सहायक अभिलेख सम्मिलित हों। सब्सिडी की गणना हर बिलिंग चक्र के दौरान पात्र बिजली खपत पर प्रति KWH रुपये 2.00 की दर से की जाएगी, लेकिन प्रति इकाई प्रति वर्ष ₹60 लाख की वार्षिक सीमा लागू रहेगी |

3.6.3.2 सत्यापन

नोडल एजेंसी संबंधित बिजली यूटिलिटीज के समन्वय के साथ बिजली खपत दावों का सत्यापन करेगी, जिसमें बिलिंग सम्बन्धी अभिलेखों का परीक्षण और उत्पादन गतिविधियों के सापेक्ष खपत पैटर्न का मूल्यांकन शामिल है।

3.7 अनुसंधान एवं विकास सहायता (Clause 5.4.7)

3.7.1 स्कोप

फुटवियर और लेदर उद्योग में नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा के महत्व को पहचानते हुए, राज्य सरकार तीन विशिष्ट माध्यमों के द्वारा व्यापक अनुसंधान एवं विकास (R&D) समर्थन प्रदान करेगी। इन पहलों का उद्देश्य इस क्षेत्र में तकनीकी उन्नति, डिजाइन नवाचारऔर ज्ञान सृजन को बढ़ावा देना है, साथ ही उत्तर प्रदेश को फुटवियर और लेदर उद्योग अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का केंद्र स्थापित करना है।

R&D समर्थन ढांचा बौद्धिक संपदा संरक्षण प्रोत्साहन, डिजाइन नवाचार आधारभूत संरचना विकास, और शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक साझेदारियों के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को समाहित करता है।

3.7.2 बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्रोत्साहन

3.7.2.1 आई पीआर प्रतिपूर्ति

इस प्राविधान के अंतर्गत फुटवियर एवं लेदर क्षेत्र की इकाइयां- पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण में हुए व्यय का 70% तक की प्रतिपूर्ति पाने की पात्र होंगी। इस प्रोत्साहन के अंतर्गत, नीति अवधि में प्रति इकाई ₹1 करोड़ की सीमा तक की प्रतिपूर्ति

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की जाएगी।

3.7.2.2 एलिजिबल कॉस्ट एवं आवेदन प्रक्रिया

प्रतिपूर्ति में बौद्धिक संपदा पंजीकरण से संबंधित सीधे खर्च शामिल हैं, जिनमें आवेदन शुल्क, कानूनी परामर्श शुल्क, पूर्व आर्ट सर्च एक्सपेंसेस, परीक्षा शुल्क, और स्वीकृत पंजीकरणों के लिए प्रारंभिक रखरखाव लागत शामिल हैं। इकाइयों को यह प्रमाणित करना होगा कि बौद्धिक संपदा सीधे फुटवियर, लेदर, या नॉन-लेदर निर्माण प्रक्रियाओं, उत्पादों, या तकनीकों से संबंधित है।

IPR प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन सफल पंजीकरण पूर्ण होने के छह माह के अंदर प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिनमें मुख्यतः- पंजीकरण प्रमाणपत्र, सहायक चालानों के साथ लागत का विवरण, कानूनी सेवा समझौते, और तकनीकी दस्तावेज़ जो बौद्धिक संपदा और पात्र निर्माण गतिविधियां सम्मिलित होंगी |

3.7.3 डिज़ाइन नवाचार प्रयोगशाला सहायता

3.7.3.1अवस्थापना विकास अनुदान

फुटवियर और लेदर उद्योग के लिए विशेष डिजाइन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, डिजाइन नवाचार लैब्स और फुटवियर प्रोटोटाइपिंग केंद्र स्थापित करने के लिए प्रति इकाई लागत का 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई ₹1 करोड़ होगी।

यह अनुदान समर्पित डिजाइन सुविधाओं की स्थापनार्थ होगा, जिसमें कंप्यूटर-एडेड डिजाइन सिस्टम, प्रोटोटाइपिंग उपकरण, परीक्षण उपकरण, और आधुनिक फुटवियर और लेदर उत्पाद विकास गतिविधियों के लिए आवश्यक विशेषीकृत सॉफ़्टवेयर शामिल हैं।

3.7.3.2 अनुमन्य सुविधाएँ

डिजाइन नवाचार लैब्स को उत्पादन सुविधाओं के अंदर समर्पित स्थान आवंटन, अनुभवी डिजाइन कर्मी, उत्पाद विकास गतिविधियों हेतु आधुनिक उपकरण, और डिजाइन नवाचारों के व्यावहारिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन संचालन के साथ एकीकृत रूप से कार्य संपादित होगा|

डिजाइन लैब अनुदान प्राप्त करने वाली इकाइयों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, डिजाइन गतिविधियों, नए उत्पाद विकास के परिणामों, उत्पादन प्रक्रियाओं में नवाचार के प्रयोग, और बेहतर डिजाइन क्षमताओं तथा बाजार उत्तरदायित्व के माध्यम से समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि में योगदान के सापेक्ष अभिलेख साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे |

3.7.4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विकास

3.7.4.1 स्कोप

निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी संगठनों, तथा UGC/AICTE मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को फुटवियर और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेदर क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण विविध विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाते हुए विश्वस्तरीय अनुसंधान और विकास सुविधाओं के सृजन हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करेगा | नीति अवधि के दौरान अधिकतम 10 ऐसे उत्कृष्टता केंद्रों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें प्रति जनपद केवल एक केंद्र स्थापित किया जाएगा।

3.7.4.2 वित्तीय सहायता एवं परियोजना आवश्यकताएँ

अनुदान राशि परियोजना लागत का अधिकतम 50% तक होगी, जिसमें प्रति परियोजना कुल सीमा ₹10 करोड़ निर्धारित की गई है। इस प्रोत्साहन के माध्यम से ऐसी अनुसन्धन सुविधाओं का विकास किया जाएगा जो जटिल तकनीकी चुनौतियों का निराकरण करते हुए क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में सक्षम है |

उत्कृष्टता केंद्रों को स्पष्ट अनुसंधान उद्देश्यों, व्यापक सुविधा योजना, योग्य कर्मी व्यवस्था, उद्योग सहयोग ढांचे, और सतत परिचालन मॉडलों का प्रदर्शन करना होगा, जिससे प्रारंभिक स्थापना चरण के बाद भी क्षेत्र विकास में दीर्घकालिक योगदान सुनिश्चित हो सके।

3.7.5 आवेदन प्रक्रिया

3.7.5.1 आईपीआर प्रोत्साहन आवेदन प्रक्रिया

IPR प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाली इकाइयों को निवेश मित्र पोर्टल/समर्पित पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जैसे बौद्धिक संपदा पंजीकरण प्रक्रियाओं, संबंधित लागतों, और फुटवियर तथा लेदर निर्माण से सम्बंधित तकनीकी प्रासंगिकता सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे| सत्यापन प्रक्रिया में बौद्धिक संपदा की प्रामाणिकता, लागत का आधार, तकनीकी योग्यता, और फुटवियर एवं लेदर क्षेत्र में संभावित वाणिज्यिक अनुप्रयोग का मूल्यांकन शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिपूर्ति वास्तविक नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक विकास को बढ़ावा देर ही दे।

3.7.5.2 डिज़ाइन प्रयोगशाला एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आवेदन प्रक्रिया

डिजाइन नवाचार लैब के लिए आवेदन में सुविधा विकास योजनाएं, उपकरण विनिर्देश, कुशलकर्मी, और मौजूदा उत्पादन संचालन के साथ एकीकृत रणनीतियों का प्रस्तुत करना आवश्यक है। आवेदनों का मूल्यांकन तकनीकी आधार पर किया जाता है ताकि डिजाइन क्षमता वृद्धि की संभावनाओं और उत्पाद विकास प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान का आकलन किया जा सके।

उत्कृष्टता केंद्रों के लिए आवेदन में विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सम्मिलित होगा जिसमें अनुसंधान उद्देश्य, सुविधा आवश्यकताएं, पार्टनर शिप एग्रीमेंट, परिचालन योजनाएं, और क्षेत्र विकास एवं तकनीकी विकास के लिए मापक योग्य इंडीकेटर्स के साथ अपेक्षित परिणाम शामिल होंगे। डिजाइन नवाचार लैब के लिए आवेदन में सुविधा विकास योजनाएं, उपकरण विनिर्देश, कर्मी योग्यताएं, और मौजूदा उत्पादन संचालन के साथ समन्वय की रणनीतियाँ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रस्तुत करनी होंगी। इन आवेदनों का तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा ताकि डिजाइन क्षमता में वृद्धि की संभावनाओं और उत्पाद विकास की प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान का आकलन किया जा सके।

3.8 परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सब्सिडी(Clause 5.4.8)

3.8.1 पात्र मशीनरी अंतरण

यह उपादान उन इकाइयों के सम्बन्ध में लागू होगा जो इस नीति से आच्छादित सेक्टर्स से सम्बंधित मशीनरी को भौतिक रूप से उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करती हो| ऐसी इकाई को ऐसे स्थानांतरण के सम्बन्ध में समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे|

3.8. 2 पात्र व्यय घटक

75 प्रतिशत की सब्सिडी गणना मशीनरी स्थानांतरण गतिविधियों के लिए किए गए वास्तविक खर्च पर लागू होती है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय परिवहन लागत, कस्टम क्लियरेंस और हैंडलिंग शुल्क, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स खर्च, ट्रांजिट के दौरान बीमा लागत, और उत्तर प्रदेश में पोर्ट ऑफ एंट्री से उत्पादन स्थल तक घरेलू परिवहन शामिल हैं।

दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं में स्थानांतरण से संबंधित सभी खर्चों के लिए मूल चालान और भुगतान रसीदें, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट की पुष्टि करने वाले बिल ऑफ लैडिंग या एयरवेबिल, कस्टम क्लियरेंस दस्तावेज़, और राज्य के निर्दिष्ट सुविधा में मशीनरी के आगमन की पुष्टि करने वाले वितरण प्रमाण पत्र शामिल हैं।

3.9 निर्यातोन्मुख प्रोत्साहन (Clause 5.4.9)

इस नीति के तहत स्थापित इकाइयाँ उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान निर्यात नीति के अनुसार प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं। इकाइयाँ उत्तर प्रदेश की वर्तमान निर्यात नीति के तहत उपलब्ध सभी लाभों का लाभ उठा सकती हैं, जिसमें निर्यात आधार भूत संरचना विकास समर्थन, बाजार विकास सहायता, निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं, और ऐसे अन्य प्रोत्साहन शामिल हैं जो विनिर्माण उद्यमों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और अंतरराष्ट्रीय बाजार पहुँच को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

3.10 सतत (सस्टेनेबल) लेदर उद्योगों हेतु प्रोत्साहन (Clause 5.4.10)

सतत लेदर उद्योग प्रोत्साहन चार विशिष्ट सहायता तंत्रों के माध्यम से संचालित होते हैं, जिनमें पर्यावरण प्रमाणन, सतत तकनीक अपनाना, अंतरराष्ट्रीय हरित प्रमाण पत्र, और वैकल्पिक लेदर उत्पादन शामिल हैं।

3.10.1 पर्यावरणीय प्रमाणन सहायता रूप रेखा

3.10.1.1 कार्बन क्रेडिट एवं ऊर्जा प्रमाणन प्रतिपूर्ति

कार्बन क्रेडिट प्रमाणन, ऊर्जा ऑडिट, और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणन से संबंधित खर्चों पर प्रति इकाई 50% तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 50 (पचास) लाख रुपये होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिपूर्ति में प्रमाणन प्रक्रियाओं से जुड़े सीधे खर्च शामिल हैं, जिनमें मूल्यांकन शुल्क, सत्यापन व्यय, प्रमाणन तैयारी के लिए सलाहकार शुल्क, और प्रमाणन वैधता अवधि के दौरान इन पर्यावरणीय प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक लागत शामिल हैं। कार्बन क्रेडिट प्रमाणन, ऊर्जा ऑडिट, और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणन से संबंधित व्ययों पर प्रति इकाई 50% तक, अधिकतम ₹50 लाख प्रति इकाई की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रति पूर्ति में मूल्यांकन शुल्क, सत्यापन खर्च, प्रमाणन तैयारी के लिए परामर्श शुल्क, और प्रमाणन की वैधता अवधि के दौरान इन पर्यावरणीय प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक लागत सहित प्रमाणन प्रक्रिया से जुड़े सीधे खर्च शामिल हैं।

3.10.1.2 आवेदन प्रक्रिया एवं दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ

पर्यावरण प्रमाणन प्रतिपूर्ति चाहने वाली इकाइयों को प्रमाणन प्राप्त होने के नौयदिन के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें मान्यता प्राप्त एजेंसियों के प्रमाणन प्रमाण पत्र, सहायक चालानों और भुगतान रसीदों के साथ विस्तृत लागत विवरण, तथा प्रमाणन अनुपालन के लिए आवश्यक पर्यावरण प्रबंधन प्रथाओं के वास्तविक क्रियान्वयन का प्रमाण शामिल हो।

3.10.2 सतत प्रौद्योगिकी अंगीकरण सहायता

3.10.2.1 हरित प्रौद्योगिकी क्रियान्वयन सब्सिडी

बायोडिग्रेडेबल टैनिंग एजेंट्स, वाटर ले सडाईंग, और जैव आधारित विकल्पों को अपनाने के लिए प्रति इकाई 50% की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये होगी। यह सब्सिडी तकनीक अधिग्रहण लागत, स्थापना और कमीशनिंग खर्च, कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकताएं, और पर्यावरणीय प्रभाव कम करते हुए उत्पाद गुणवत्ता और संचालन दक्षता बनाए रखने वाले सतत उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रारंभिक संचालन सम justments को कवर करती है।

3.10.2.2 प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन रूपरेखा

सतत तकनीक अपनाने का प्रस्ताव रखने वाली इकाइयों को स्पष्ट पर्यावरणीय लाभ, संचालन की योग्यता, और मौजूदा उत्पादन प्रक्रियाओं के साथ समन्वय की संभावना प्रदर्शित करनी होगी। आवेदन में विस्तृत तकनीकी विनिर्देश, कार्यान्वयन समय सीमा, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शामिल होने चाहिए, जो पर्यावरणीय सुधार और आर्थिक व्यवहार्यता दोनों को दर्शाते हों।

सत्यापन प्रक्रियाओं में प्रस्तावित तकनीकों का तकनीकी मूल्यांकन, आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता और तकनीकी प्रदर्शन रिकॉर्ड का मूल्यांकन, तथा पर्यावरणीय प्रदर्शन सुधारों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वयन प्रगति की निरंतर पर्यवेक्षण शामिल है।

3.10.3 अंतर्राष्ट्रीय हरित प्रमाणन सहायता

3.10.3.1 प्रीमियम प्रमाणन प्रोत्साहन संरचना

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

LEED, ISO 14001, और LWG जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्रों के लिए प्रति इकाई 75% की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये होगी।

3.10.3.2 प्रमाणीकरण कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण

चल रहे समर्थन में वार्षिक अनुपालन अनुश्रवण, प्रमाणन रखरखाव और नवीकरण प्रक्रियाओं में सहायता, तथा सतत सुधार योजना शामिल है ताकि प्रमाणित इकाइयाँ अपनी पर्यावरणीय प्रदर्शन नेतृत्व और बाजार में स्थिति के लाभ बनाए रख सकें।

3.10.4 प्रमाणीकरण क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण

3.10.4.1 नवाचार हेतु पूंजीगत सब्सिडी

प्लांट-आधारित, जैव-निर्मित, और प्रयोगशाला उत्पन्न सामग्री सहित वैकल्पिक लेदर उत्पादित करने वाली एलाइड लेदर इकाइयाँ पात्र पूंजीनिवेश के 5% के समतुल्य अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र होंगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रतिइकाई 15 (पन्द्रह) करोड़ रुपये होगी, जो सात समान वार्षिक किश्तों में वितरित की जाएगी।

3.10.4.2 वैकल्पिक सामग्री श्रेणियाँ एवं आवश्यकताएँ

पात्र वैकल्पिक लेदर उत्पादन में कृषि अपशिष्टया समर्पित फसलों से प्राप्त प्लांट-आधारित सामग्री, फेरमेंटशन या सेलुलर कृषि प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित जैव-निर्मित लेदर, और उन्नत जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के माध्यम से विकसित प्रयोगशाला उत्पन्न सामग्री शामिल हैं। इकाइयों को सामग्री विकास में वास्तविक नवाचार प्रदर्शित करना आवश्यक है, न कि मौजूदा वैकल्पिक सामग्रियों की साधारण प्रक्रिया करना।

आवेदनों में उत्पादन प्रक्रियाओं का सम्बन्धी अभिलेख, लेदर उद्योग मानकों को पूरा करने वाले गुणवत्ता विनिर्देश, बाजार व्यवहार्यता मूल्यांकन, और पारंपरिक लेदर उत्पादन प्रक्रिया की तुलना में श्रेष्ठ सततता प्रदर्शन दर्शाने वाले पर्यावरणीय प्रभाव शामिल होने चाहिए।

3.11 समग्र सीमा एवं प्रतिबंध **(Clause 5.4.12)**

3.11.1 अधिकतम प्रोत्साहन सीमा

a) कुल प्रोत्साहन सीमा: इस नीति के अंतर्गत प्रदान किए गए समग्र प्रोत्साहन किसी भी इकाई के लिए सभी प्रोत्साहन श्रेणियों में पात्र पूंजी निवेश (Eligible Capital Investment) के 100% सेअधिक नहीं होंगे।

b) सीमा गणना विधि:

कुल प्रोत्साहन = भूमि सब्सिडी + पूंजीगत सब्सिडी + स्टांप शुल्क छूट + प्रशिक्षण प्रोत्साहन + विद्युत सब्सिडी + अनुसंधान एवं विकास सहायता + परिवहन सब्सिडी + निर्यात प्रोत्साहन + सततता प्रोत्साहन + अन्य लाभ

कुल प्रोत्साहन ≤ पात्र पूंजी निवेश (ECI) का 100%

3.11.2 डवटेलिंग प्रावधान

(1) अनुमन्य डवटेलिंग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. भारत सरकार की योजनाएँ: इकाइयाँ राज्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त विभिन्न केंद्र सरकार की
नीतियों/योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर सकती हैं
2. केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ: PLI योजनाएं, तकनीकी उन्नयन योजनाएं, निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं
3. उत्तर प्रदेश निर्यात नीति: उत्तर प्रदेश सरकार की प्रचलित निर्यात नीति के तहत लाभ
(2) निषिद्ध डवटेलिंग
1. उत्तर प्रदेश की अन्य नीतियाँ: उत्तर प्रदेश सरकार की किसी अन्य औद्योगिक नीति के साथ संयोजन अनुमति नहीं है
2. समान प्रोत्साहन: विभिन्न राज्य योजनाओं के तहत समान प्रोत्साहन का दावा नहीं किया जा सकता
3. दोहरा लाभ: एक ही लाभ को दोनों राज्य और समान राज्य योजनाओं के तहत प्राप्त नहीं किया जा सकता
4. पात्र प्रोत्साहन (औद्योगिक पार्कों के लिए)
4.1 स्कोप
(1) यह नीति केवल उन निजी औद्योगिक पार्कों पर लागू होती है जो कम से कम 25 एकड़ या उससे अधिक निजी भूमि पर विकसित किए गए हों।
(2) उन पार्कों पर लागू होती है जिनमें कम से कम 5 औद्योगिक इकाइयाँ परिचालन में हों या प्रतिबद्ध हों।
(3) सुनिश्चित करती है कि पारदर्शी और समान भूमिक आवंटन हो, जिसके तहत किसी एक औद्योगिक इकाई को पार्क के भूमि क्षेत्र का 80% से अधिक आवंटित न किया जाए।
4.2 आवश्यकताएं
(1) परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में, संबंधित प्राधिकरण से योजना/लेआउट प्रमाणन के साथ, निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल होने चाहिए:
1. आवेदन से संबंधित संबंधित प्राधिकरण से प्रमाणन पत्र।
2. परियोजना योजना का विस्तृत विवरण जिसमें परियोजना की विस्तृत जानकारी दी गई हो।
3. मूल परियोजना बिंदुओं से परे जानकारी, जिसमें औद्योगिक पार्क से जुड़ी विशिष्ट जानकारी शामिल हो, जैसे:

i. पार्क से संबंधित भूमि और संबद्ध सेवाओं का विवरण।
ii. यह जानकारी कि भूमि किसी भी ऋण या बंधनों से मुक्त है या नहीं।
iii. पार्क के लेआउट योजनाएँ।
iv. संबंधित विकास प्राधिकरण, नगर निकाय, या स्थानीय निकाय से संबंधित विवरण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

v. पार्क की भूमि से संबंधित मास्टरप्लान या सिटीप्लान भूमि उपयोग की जानकारी।
vi. भूमि भूखंडों के विवरण, मूल्य मांग सहित और क्षेत्रवार, मार्गवार उपलब्धता।
vii. पावर लाइनों की कनेक्टिविटी और उपलब्धता।
viii. अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचा विवरण।
(2) DPR में आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित विवरणों को भी उपयुक्त रूप से सम्मिलित और लिंक किया जाना चाहिए।

(3) निवेशक के आवेदन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) प्राप्ति के 30 कार्य दिवसों के अंदर, रेकमेन्डिंग अथॉरिटी के तहत गठित इवैल्यूएशन कमेटी, जिसकी सहायता उसके नीति क्रियान्वयन इकाई (PIU) सेल द्वारा की जाती है, प्रस्तावित परियोजना की जांच करेगी।

(4) मूल्यांकन समिति उपयुक्त मूल्यांकन के बाद अपनी सिफारिश प्रदान करेगी, जिसमें साइट कनेक्टिविटी, बिजली की उपलब्धता, पार्क स्थापना के लिए आवश्यक सुविधाएँ, और अन्य संबंधित बिंदुओं का समावेश होगा।

(5) सरकार स्तर पर, उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (स्वीकृति प्राधिकरण) अंतिम मंजूरी प्रदान करेगी और अनुमोदित परियोजनाओं को Letter of Comfort (LoC) जारी करेगी।

(6) Letter of Comfort प्राप्त करने के बाद, निजी निवेशक को निम्नलिखित प्रदान करना होगा:

i. Letter of Comfort के साथ-साथ प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को मूलभूमि अभिलेख प्रस्तुत करना।

ii. o वाणिज्यिक संचालन शुरू होने तक निजी औद्योगिक भूमि को सरकार के पक्ष में मॉर्टगेज किया जाएगा। यह मॉर्टगेज पूर्ण परियोजना संचालन से पहले जारी किए गए प्रोत्साहनों के लिए सरकार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(7) भूमि पंजीकृत मॉर्टगेज ₹10,000/- के स्टांप शुल्क पर तैयार किया जाएगा। मूल मॉर्टगेज दस्तावेज़ों को सुरक्षित रख रखाव के लिए नियुक्त प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेंसी के पास जमा किया जाएगा जब तक कि रिहाई न हो।

(8) इस नीति के तहत सभी निजी औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव केवल उत्तर प्रदेश सरकार के MSME और निर्यात संवर्धन विभाग द्वारा, जोकि नामित नोडल विभाग है, संसाधित किए जाएंगे।

4.3 माइलस्टोन मैट्रिक्स और प्रोत्साहन संवितरण

प्रोत्साहन घटक	विवरण	प्रोत्साहन	मूल्यांकन आधार
कुल पूंजीगत	(1) 25 एकड़ अथवा इससे अधिक परन्तु 100 एकड़	100% -	अनुमन्य पूंजी उपदान का 90% : निर्माण चरण के दौरान , समान वार्षिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सब्सिडी	से कम के निजी औद्योगिक पार्क पात्र स्थायी पूंजीगत निवेशका 25% अथवा ₹45 करोड़, जो भी कम हो। (2) 100 एकड़ अथवा इससे अधिक के निजी औद्योगिक पार्क पात्र स्थायी पूंजीगत निवेश का 25% अथवा ₹80 करोड़, जो भी कम हो।		किस्तों में भुगतान - अवशेष 10%: वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त भुगतान
निर्माण के दौरान	प्रत्येक किश्त = अनुमन्य अनुदान के 90% का 25%	कुल अनुदान का 22.5%	प्रत्येक 25% हिस्सेदारी के लिए माइलस्टोन-आधारित मूल्यांकन में निम्नलिखित मानदंड शामिल होंगे (विवरण धारा 4.4 में देखें)।
वार्षिक किस्तें	अर्थात कुल अनुदान का 22.5%		
संचालन-उपरांत प्रोत्साहन	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद शेष 10% सब्सिडी जारी	कुल अनुदान का10%	(1) 5 इकाइयों वाले पार्क हेतु: पात्र औद्योगिक इकाइयों द्वारा ₹50 करोड़ या उससे अधिक का संचयी निवेश कर उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि। (2) 5 से अधिक इकाइयों वाले पार्क हेतु: कुल प्लॉट्स का कम से कम 25% आवंटित एवं क्रियाशील होना।

4.4 प्रोत्साहन संवितरण के लिए माइलस्टोन मानदंड

किस्त संख्या	किस्त विवरण	मूल्यांकन मानदंड
किस्त 1 (90% का 25%)	पार्क की कुल अवस्थापना का न्यूनतम 25% कार्य पूर्ण होने पर	-DPR में प्रस्तावित घटकों का कम से कम 25% निर्माण पूर्ण होना। - संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग द्वारा प्रमाणित प्रगति की फोटो और रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किस्त 2 (90% का 25%)	पार्क की कुल अवस्थापना का न्यूनतम 50% कार्य पूर्ण होने पर	- DPR में प्रस्तावित घटकों का कम से कम 50% निर्माण पूर्ण होना। - औद्योगिक यूनिट्स को 25% प्लॉट आवंटन के लिए सहमति/रुचि। - संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग द्वारा प्रमाणित प्रगति रिपोर्ट।
किस्त 3 (90% का 25%)	पार्क की कुल अवस्थापना का न्यूनतम 75% कार्य पूर्ण होने पर	- DPR में प्रस्तावित घटकों का कम से कम 75% निर्माण पूर्ण होना। - औद्योगिक यूनिट्स को 50% प्लॉट आवंटन के लिए सहमति/रुचि। - संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग द्वारा प्रमाणित प्रगति रिपोर्ट।
किस्त 4 (90% का 25%)	पार्क की कुल अवस्थापना का न्यूनतम 100% कार्य पूर्ण होनेपर	- DPR में प्रस्तावित घटकों का 100% निर्माण पूर्ण होना। - औद्योगिक यूनिट्स को 75% प्लॉट आवंटन के लिए सहमति/रुचि। - संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग द्वारा प्रमाणित प्रगति रिपोर्ट।
औद्योगिक पार्क के वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने पर शेष 10% अनुदान देय होगा		
किस्त 5 (कुल सब्सिडी का 10%)	सभी विकास कार्यों की 100% पूर्णता एवं औद्योगिक पार्क का वाणिज्यिक संचालन शुरू होने पर	- DPR में प्रस्तावित घटकों का 100% निर्माण पूर्ण होना। - पार्क में कुल विक्रय योग्य प्लॉट/शेड का कम से कम 25% औद्योगिक इकाइयों को आवंटित होना और उनका वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना।

4.5 पोस्ट ऑपरेशन मैट्रिक्स

परिचालन के बाद (शेष 10%) प्रोत्साहन जारी करने का निर्णायक बिंदु

(1) 5 इकाइयों वाले पार्कों के लिए:

शेष प्रोत्साहन तब जारी किया जाएगा जब पात्र औद्योगिक इकाइयाँ स्थानीय/नोडल प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करें।

(2) 5 से अधिक इकाइयों वाले पार्कों के लिए -

प्रोत्साहन जारी करने के लिए निम्नलिखित आधार होंगे -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

i. कुल बिक्री योग्य भूखंडों/शेड्स के कम से कम 25% औद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन का संचालन शुरू होने पर

ii. सत्यापित आवंटन और परिचालन स्थिति का प्रतिबिंब होना आवश्यक है (जैसे उत्पादन प्रमाण-पत्र, कर पंजीकरण, विद्युत उपयोग रिपोर्ट)।

5. अन्य शर्तें

5.1 विशेष प्राविधान - HLEC द्वारा विस्तार और छूट

यदि किसी निवेशक की परियोजना पर अप्रत्याशित परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी आदि) या ऐसे अन्य कारणों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, और जिससे परियोजना के निर्माण, संचालन या समयबद्ध क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो नोडल एजेंसी उनकी उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (High-Level Empowered Committee - HLEC**) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर नीति के अंतर्गत निर्माण कार्य की समय सीमा, प्रोत्साहन की राशि के वितरण कार्यक्रम या अन्य अनुपालन आवश्यकताओं में उचित सीमा तक छूट प्रदान कर सकती है। इस प्रकार की छूट प्रत्येक प्रकरण की विशेष परिस्थिति के आधार पर दी जाएगी, उसे कारण सहित अभिलेखित किया जाएगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नीति के मूल उद्देश्यों और पारदर्शिता से कोई समझौता न हो।**

5.2 जिला-स्तरीय संस्तुति

इस नीति के तहत या इससे संबद्ध किसी भी नीति /योजना या सहायता के तहत किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशिया लाभ प्राप्त करने हेतु सभी आवेदन से संबंधित अवलेख संबंधित जिला उद्योग केंद्र (DIC**) द्वारा विधिवत सत्यापित और अनुशंसित होने चाहिए।**

अनुलग्नक

आवेदन पत्र के घटक

यू0पी0 फुटवियर, लेदर और नॉन-लेदर सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी, 2025

क्रम	मद	विवरण	अभिलेख
भाग अ : परियोजना विवरण			
1	यूनिक आईडी नंबर.		निवेश मित्र पंजीकरण फॉर्म डीपीआर से निर्धारित प्रारूप में, प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ
2	प्रस्तावित इकाई का नाम		निर्धारित प्रारूप में डीपीआर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	परियोजना का प्रकार	☐ जूते विनिर्माण ☐ लेदर उत्पाद विनिर्माण ☐नॉन-लेदर उत्पाद विनिर्माण ☐जूते और लेदर मशीनरी विनिर्माण ☐संबद्ध जूते और लेदर इकाई ☐ क्लस्टर ☐ उत्पाद विकास केंद्र ☐ आर एंड डी केंद्र	डीपीआर निर्धारित प्रारूप में, प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ जैसे- 1) निगमन प्रमाण पत्र 2) मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रति 3) एसोसिएशन के लेखों की प्रति 4) निदेशक- पैन कार्ड कॉपी या आधार कार्ड कॉपी 5) बोर्ड संकल्प की प्रति 6) स्व-घोषणा प्रपत्र
4	परियोजना की श्रेणी	स्टैंड-अलोन यूनिट / मेगा एंकर यूनिट / क्लस्टर / एलाइड यूनिट / मशीनरी विनिर्माण इकाई	
5	संक्षिप्त परियोजना विवरण		निर्धारित प्रारूप में डीपीआर
6A	परियोजना का स्थान	(अ). पता (ब).भूमि का क्षेत्रफल- हेक्टेयर (स) जनपद (द) क्षेत्र	निर्धारित प्रारूप में डीपीआर
6B	औद्योगिक विकास प्राधिकरण	यूपीएसआईडीए/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/वाईईआईडीए/गीडा/अन्य (निर्दिष्ट करें)	निर्धारित प्रारूप में डीपीआर
7	इकाई का गठन	क) कंपनी/साझेदारी फर्म/एलएलपी/सोसायटी /ट्रस्ट /मालिकाना चिंता ख) वित्तीय स्थिति और पृष्ठ भूमि	निगमन प्रमाण पत्र की प्रति, एमओए और एओए, बोर्ड संकल्प की प्रति और पिछले वर्ष की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट की प्रति (यदि उपलब्ध हो)
8	प्रवर्तकों/निदेशकों का	क) इकाई का गठन	निर्धारित प्रारूप में

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	विवरण	ख) प्रवर्तकों की वित्तीय स्थिति ग) फुटवियर/लेदर उद्योग में अनुभव घ) अन्य व्यावसायिक हित	डीपीआर
9	इकाई का GSTIN		GSTIN कीप्रतिs
10	आईईसी कोड (यदि उपलब्ध हो)		
11	प्रस्तावित इकाई के व्यवसाय की प्रकृति (आईडी एंड आर अधिनियम/एनआईसी के अनुसार औद्योगिक वर्गीकरण)	एनआईसी कोड: _____ विवरण: _____	यदि लागू हो
12	योग्य परियोजना स्थापित करने के लिए पंजीकरण या लाइसेंस		आईईएम (औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन)/आईएल (औद्योगिक लाइसेंस) की पावती संलग्न करें
13 a	प्रस्तावित निवेश (INR करोड़)	कुल परियोजना लागत: ₹ _____ करोड़	निर्धारित प्रारूप में डीपीआर, (सीए प्रमाणित निवेश ब्रेकअप) के साथ-साथ (सीए प्रमाणित वित्त के साधन) और (स्व-घोषणा प्रपत्र)

भाग ब : निवेश विवरण

क्रम	घटक	राशि (INR Cr)	%
13 b	भूमि की लागत		
13 c	भवन लागत		
13 d	अन्य निर्माण		
13 e	संयंत्र और मशीनरी		
13 f	बुनियादी सुविधाएं		
Total	परियोजना निवेश		100%
14	परियोजना की श्रेणी	□स्टैंड-अलोन फुटवियर और लेदर	डीपीआर निर्धारित और

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(टिक मार्क)	प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (₹50-150 करोड़) ☐ फुटवियर और लेदर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (₹50-150 करोड़) ☐मेगा एंकर यूनिट (₹150 करोड़ से ऊपर) ☐ क्लस्टर (न्यूनतम ₹200 करोड़ सामूहिक) ☐एलाइड फुटवियर और लेदर यूनिट (न्यूनतम ₹150 करोड़)	(सीए प्रमाणित निवेश विवरण) में
भाग स : प्रमोटर/निदेशक सूचना			
नाम	पदनाम	संपर्क विवरण (पता/मोबाइल/ईमेल)	पैन और डीआईएन नंबर
भाग द : परियोजना कार्यान्वयन विवरण			
क्रम	मद	विवरण	अभिलेख
15	अनुमानित रोजगार	प्रत्यक्ष रोजगार: _____ अप्रत्यक्ष रोजगार: _____ कुल: _____	निर्धारित प्रारूप में डीपीआर
16	निवेश पूरा होने की प्रस्तावित तिथि		निर्धारित प्रारूप में डीपीआर
17	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की प्रस्तावित तिथि		निर्धारित प्रारूप में डीपीआर
भाग ई: उत्पादन विवरण			
वर्ष	उत्पाद का नाम	प्रति वर्ष स्थापित क्षमता	अनुमानित उत्पादन प्रति वर्ष (डीपीआर)
भाग-फ : प्राधिकरण विवरण:			
क्रम	मद	विवरण	अभिलेख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

18	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण	(अ). नाम, (ब). पदनाम (स). संपर्क विवरण- ईमेल: ; फोन नंबर: पता: ; (द). पैन नं:	बोर्ड संकल्प की प्रति
भाग-छ: विगत प्रोत्साहन:			
क्रम	मद		विवरण
19a	क्या आपने पहले से ही उसी परियोजना के लिए किसी भी राज्यनीति के तहत कोई प्रोत्साहन आवेदन किया है/		☐ हाँ ☐ नहीं
19 b	यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रदान करें		योजना का नाम: _____ प्रोत्साहन का नाम: _____ प्रोत्साहन प्राप्त प्रोत्साहन (आईएनआर): _____
भाग-च : भूमि सब्सिडी विशिष्ट विवरण:			
क्र0	मद	विवरण	अभिलेख
20 A	भूमि की आवश्यकता का विवरण	क) कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) ख) उद्देश्यवार भूमि उपयोग - विनिर्माण क्षेत्र: _____ हेक्टेयर - भंडारण क्षेत्र: _____ हेक्टेयर - प्रशासनिक क्षेत्र: _____ हेक्टेयर - ग्रीन बेल्ट/खुली जगह: _____ हेक्टेयर - अन्य सुविधाएं: _____ हेक्टेयर	विस्तृत लेआउट योजना और भूमि उपयोग चार्ट के साथ डीपीआर
20 B	प्रोत्साहन मार्ग का विकल्प (केवल एक का चयन करें)	☐ भूमि लागत सब्सिडी मार्ग (मैं भूमि लागत सब्सिडी का लाभ उठाने का विकल्प चुनता हूं और पात्र पूंजी निवेश गणना में भूमि लागत शामिल नहीं करूंगा) ☐ पूंजी निवेश मार्ग (मैं पात्र पूंजी	अनिवार्य: स्टाम्प पेपर पर उपक्रम के साथ स्व-घोषणा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		निवेश गणना में भूमि लागत को शामिल करना चुनता हूं और भूमि लागत सब्सिडी का लाभ नहीं उठाऊंगा)	
परियोजना श्रेणी विशिष्ट विवरण			
A. स्टैंड अलोन इकाइयों के लिए			
क्र.सं.	मद	सूचना	
21 A	प्राथमिक उत्पाद श्रेणी	☐ लेदर जूते ☐ नॉनलेदर जूते ☐ लेदर के सामान ☐ लेदर के ☐ वस्त्र नॉनलेदर उत्पाद ☐ मशीनरी और उपकरण	
21 B	लक्ष्य बाजार	☐ घरेलू ☐ निर्यात ☐ दोनों	
21 C	प्रौद्योगिकी स्रोत	☐ स्वदेशी ☐ आयातित ☐ संयुक्त सहयोग	
B. मेगा एंकर इकाइयों के लिए			
क्र.सं.	मद	सूचना	
22 A	एंकर इकाई भूमिका	☐ विनिर्माण ☐ असेंबली ☐ क्लस्टर के लिए दोनों ☐ हब	
22 B	आपूर्ति कर्ता नेटवर्क योजना	नियोजित आपूर्ति कर्ताओं की संख्या: _____	
C.क्लस्टर परियोजनाओं के लिए			
क्र.सं.	मद	सूचना	
23 A	क्लस्टर संरचना	कुल भाग लेने वाली इकाइयाँ: _____ एंकर इकाइयाँ: _____ सहायक इकाइयाँ: _____	
23 B	एंकर यूनिट विवरण	नाम: _____ निवेश प्रतिबद्धता: ₹ _____ करोड़	
D. संबद्ध इकाइयों के लिए			
क्र.सं.	ब्यौरा	सूचना	
24 A	उत्पाद विशेषज्ञता	☐ अवयव ☐ कच्चे माल ☐ रसायन ☐ मशीनरी ☐ सेवाएं ☐ अन्य _____	
24 B	मुख्य ग्राहक विवरण	जूते/लेदर निर्माता का नाम: _____	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

घोषणा:

a. **मैं/हम इस प्रकार घोषणा और प्रतिज्ञा करता / करती / करते हैं कि : इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है।**

b. **मैं/हम भूमि लागत सब्सिडी विकल्प चुनते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि इस नीति के तहत किसी अन्य प्रोत्साहन के लिए पात्र पूंजी निवेश (**ECI) **गणना में भूमि लागत का दावा नहीं करेंगे।**

मैं/हम समझते हैं कि यदि भूमि लागत सब्सिडी ली जाती है, तो पूंजीगत सब्सिडी निर्धारण के लिए ECI **गणना में भूमि लागत शामिल नहीं की जाएगी**

c. **मैं/हमने इस परियोजना के लिए किसी अन्य राज्य सरकार की नीति के तहत भूमि सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं किया है।**

d. **मैं/हम इस नीति की सभी शर्तों और नियमों का पालन करने का संकल्प लेते हैं।**

e. **मैं/हम निर्धारित समय सीमा के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने और नीति में निर्दिष्ट न्यूनतम प्रदर्शन मानकों को प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं।**

f. **मैं/हम राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों को प्रदान की गई जानकारी सत्यापित करने और आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने का अधिकार देते हैं।**

g. **मैं/हम समझते हैं कि कोई भी गलत जानकारी या अनुपालन न करने पर लाभ रद्द किए जा सकते हैं और नीति प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहित वसूली की जा सकती है।**

स्थान: _____ **तारीख:** _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

नाम: _____ **पद:** _____ **कंपनी का मुहर**

संलग्न करने वाले दस्तावेज़:

(1) कंपनी पंजीयन प्रमाण-पत्र

(2) मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन

(3) बोर्ड का प्रस्ताव जिसने हस्ताक्षरकर्ता को अधिकार दिया हो

(4) सभी निदेशकों/भागीदारों के पैन कार्ड

(5) पिछले 3 **वर्षों के ऑडिटेड बैलेंस शीट (यदि लागू हो)**

(6) जीएसटीआईएन प्रमाण-पत्र

(7) IEC **प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो)**

(8) IEM/IL **स्वीकृति**

(9) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)

(10) CA **प्रमाणित निवेश विवरण**

(11) CA **प्रमाणित वित्तीय साधन विवरण**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) स्व-घोषणा फॉर्म

(13) भूमि उपयोग विवरण के साथ ले आउट योजना

(14) कोई अन्य संबंधित दस्तावेज़

फॉर्मेट – 1: DPR के लिए प्रारूप (सजेस्टिव)

1. **कार्यकारी संक्षेप**

2.**परियोजना**

2.1 **परियोजना और उत्पाद का विवरण**

2.2 **क्षमता और उत्पादन**

2.3 **कंपनी का विवरण (जिसमें समूह कंपनियों का विवरण और पिछले 3 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन शामिल हो)**

2.4 **प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि**

2.5 **परियोजना लागत का विस्तृत विभाजन**

2.5.1 **भूमि लागत**

2.5.2 **स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क भुगतान**

2.5.3 **भवन लागत**

2.5.4 **अन्य निर्माण लागत**

2.5.5 **संयंत्र और मशीनरी**

2.5.6 **बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास की लागत**

2.5.7 **अन्य कोई लागत**

2.5.8 **कुल परियोजना लागत**

2.6 **बीमार इकाइयों और उनके परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में हुई लागत का विभाजन**

2.6.1 **भूमि लागत**

2.6.2 **स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क भुगतान**

2.6.3 **भवन लागत**

2.6.4 **अन्य निर्माण लागत**

2.6.5 **संयंत्र और मशीनरी**

2.6.6 **बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास की लागत**

2.6.7 **अन्य कोई लागत**

2.6.8 **कुल परियोजना लागत**

2.7 **इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास सुविधा का विवरण (यदि हो)**

2.7.1 **शीर्षक, स्थान (अंदर/बाहर परिसर)**

2.7.2 **उद्देश्य, लक्ष्य, अपेक्षित परिणाम**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.7.3 अनुसंधान कार्य का विवरण जिसमें विनिर्माण क्षेत्र/उद्योग को लाभ और सामाजिक प्रभाव शामिल हो

2.7.4 अनुसंधान कार्य की पूंजी लागत – भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी, उपकरण, उपकरण, अधिग्रहीत तकनीक और अन्य स्थायी संपत्ति

2.7.5 अनुसंधान के लिए सहयोग/प्राप्त विशेषज्ञता

2.7.6 भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के साथ पंजीकरण की स्थिति

2.8 परियोजना की वर्तमान स्थिति

3. वित्त पोषण के साधन

3.1 इक्विटी: - प्रवर्तकों का योगदान और स्रोत/आंतरिक उपार्जन/बाहरी स्रोतों से फंड व्यवस्था का विवरण आदि

3.2 ऋण योगदान स्रोत और ऋण की लागत

4. भूमि का विवरण एवं लॉजिस्टिक्स

4.1 भूमि की प्रकृति

4.2 भूमि क्षेत्र की आवश्यकता

4.3 भूमि का स्वामित्व

4.4 भूमि की वर्तमान स्थिति

4.5 भूमि का स्थान

5. निर्मित भवन का विवरण - लेआउट, मापन, निर्माण का प्रकार आदि

6. संयंत्र और मशीनरी एवं MFA का विवरण

6.1 उपयोग की जा रही तकनीक

6.2 उपकरण/मशीनआपूर्तिकर्ताओं के संभावित स्रोत

6.3 लागत और मात्रा

6.4 विनिर्देश और आपूर्तिकर्ता

6.5 स्थापना और कमीशनिंग व्यवस्था

6.6 प्रदूषण/व्यर्थता नियंत्रण उपाय

6.7 प्रदूषण मान कों के पालन के लिए स्थापित की जाने वाली मशीनें

7. कच्चे माल की जानकारी

7.1 कच्चे माल की उपलब्धता

7.2 खरीद के स्रोत

7.3 खरीद की प्रक्रिया

7.4 लागत निर्धारण

8. उत्पादन प्रक्रिया का वर्णन

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8.1 **प्रक्रिया प्रवाह आरेख**

8.2 **मशीन लेआउट योजना**

8.3 **प्रक्रिया प्रवाह तालिका**

9. **आवश्यक बुनियादी ढांचा और स्रोत**

9.1 **बिजली**

9.2 **जल और सीवर प्रणाली**

9.3 **अन्य**

10. **मानव संसाधन आवश्यकताएँ - विभाजन**

10.1 **प्रत्यक्ष मानव संसाधन आवश्यकता (कुशल, अर्धकुशल, अकुशल आदि)**

10.2 **अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन संभावनाएं**

11. **बाजार**

11.1 **सेक्टर पृष्ठभूमि - बाजार स्थिति, प्रमुख खिलाड़ी, मांग आपूर्ति अंतर और अवसर, विपणन रणनीति, नेटवर्क**

11.2 **दृष्टिकोण**

12. SWOT **विश्लेषण**

13. **वित्तीय विश्लेषण**

13.1 **लागत अनुमान**

13.2 **कार्यशील पूंजी आवश्यकता**

13.3 **राजस्व प्रक्षेपण**

13.4 **निधि प्रवाह विवरण**

13.5 **वित्तीय अनुपात**

13.6 **ब्रेकईवन**

13.7 **टर्मलोन**

13.8 **आंतरिकला भदर**

13.9 **तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता मूल्यांकन**

13.10 **परियोजना कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण तिथियाँ (पहले निवेश से अंतिम निवेश तक)**

13.11 **कुल स्थायी पूंजी**

13.12 **कंपनी का सकल ब्लॉक और शुद्ध मूल्य**

अनुलग्नक 1: औद्योगिक उपक्रम के लिए सामान्य प्रोत्साहन आवेदन पत्र

खंड- अ : आवश्यक परियोजना विवरण

क्रमांक	फील्ड का नाम	इनपुट प्रकार/विकल्प	आवश्यक सहायक दस्तावेज़
1	आवेदक / यूनिट का	-	निगमित प्रमाण-पत्र /

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	नाम		साझेदारी प्रमाण पत्र / ट्रस्टडीड
2	आवेदक का पैन नंबर	-	पैन की प्रतिलिपि
3	संपर्क विवरण ईमेल,	मोबाइल नंबर, पूरा डाक पता	
4	प्रस्तावित फुटवियर यूनिट का नाम	-	
5	संक्षिप्त परियोजना विवरण	मल्टी-लाइनटेक्स्ट एरिया	
6	परियोजना का स्थान	ड्रॉपडाउन – जिला, क्षेत्र टेक्स्टबॉक्स – पूरा पता	जिला उद्योग कार्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र
7	यूनिट का गठन	ड्रॉपडाउन: कंपनी / साझेदारी / ट्रस्ट / अन्य	MoA / AoA / साझेदारी डीड / ट्रस्टडीड की प्रतिलिपि
8	यूनिट का पंजीकरण संख्या	-	पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि
9	जीएसटीआईएन नंबर	-	जीएसटीआईएन की प्रतिलिपि
10	IEC कोड (यदि लागू हो)	-	
11	व्यवसाय का प्रकार	ड्रॉपडाउन/सूची: फुटवियर निर्माण / लेदर उत्पाद / अन्य	
12	औद्योगिक उपक्रम की स्थिति	रेडियो बटन: नया / विस्तार	DPR दस्तावेज़
13	वाणिज्यिक उत्पादन की प्रस्तावित तिथि	तिथि चयनकर्ता	
14	प्रस्तावित परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	संख्यात्मक इनपुट	चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) प्रमाणित निवेश विवरण
15	प्रमोटर/निदेशक विवरण	नाम, पद, संपर्क, पैन, DIN	पैन एवं DIN प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि
16	लाभार्थी बैंक विवरण	खाता नाम, बैंक नाम, खाता संख्या, IFSC कोड	बैंक पासबुक की प्रतिलिपि

खंड ब : प्रोत्साहन विवरण (विस्तार योग्य खंड)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) भूमि सब्सिडी

इकाई का प्रकार: (एक या अधिक चुनें)

o स्वतंत्र फुटवियर / लेदर इकाई

o फुटवियर एवं लेदर मशीनरी इकाई

o सहायक फुटवियर एवं लेदर इकाई

o मेगा एंकर इकाई

o क्लस्टर इकाई

(2) भूमि विवरण:

o भूमि आवंटन एजेंसी (ड्रॉप डाउन): सरकारी एजेंसी / प्राधिकरण / प्रवर्धित क्लस्टर

o आवंटित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर): _____

o भूमि आवंटन मूल्य (स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क को छोड़कर): ₹ _____

o भूमि आवंटन तिथि: _____

o भूमि आवंटन पत्र अपलोड करें

(3) पूर्व में प्राप्त सब्सिडी:

o क्या आपने इस भूमि के लिए पहले भूमि सब्सिडी प्राप्त की है? (हाँ/नहीं)

o यदि हाँ: प्राप्त राशि ₹ _____

o पूर्व के सब्सिडी प्राप्ति की तिथि: _____

(4) घोषणा:

o पूंजी निवेश से भूमि लागत को हटाने की पुष्टि (हाँ/नहीं)

o भूमि स्वामित्व/आवंटन दस्तावेज़ अपलोड करें

(1) पूंजीगत सब्सिडी

o इकाई श्रेणी: (एक चुनें)

o स्वतंत्र फुटवियर / लेदर इकाई

o फुटवियर एवं लेदर मशीनरी इकाई

o सहायक फुटवियर एवं लेदर इकाई

o मेगा एंकर इकाई

o क्लस्टर इकाई

(2) पूंजी व्यय विवरण:

o पात्र पूंजी निवेश (ECI): ₹ _____

o निवेश का विभाजन (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विभाजन संलग्न करें):

▪ भूमि लागत: ₹ _____

▪ भवन लागत: ₹ _____

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

▪ **संयंत्र और मशीनरी:** ₹ _____

▪ **अन्य स्थायी संपत्तियाँ:** ₹ _____

o **निवेश प्रारंभ तिथि:** _____

o **नियोजित निवेश पूर्णता तिथि:** _____

(3) सब्सिडी गणना:

o **अनुरोधित सब्सिडी राशि (**ECI **के % के आधार पर):** ₹ _____

o **वार्षिक सब्सिडी सीमा (यदि लागू हो):** ₹ _____

(4) सहायक अभिलेख:

o CA **प्रमाणित निवेश विभाजन (अपलोड करें)**

o **चार्टर्ड इंजी नियर प्रमाणित स्थायी संपत्ति सूची (अपलोड करें)**

o **परियोजना** DPR **(अपलोड करें)**

3. **स्टांप ड्यूटी सब्सिडी**

(1) स्टांप ड्यूटी विवरण:

a. **कुल चुकाई गई स्टांप ड्यूटी:** ₹ _____

b. **भुगतान तिथि:** _____

c. **स्टांप ड्यूटी भुगतान रसीद अपलोड करें**

(2) बैंक गारंटी:

a. **स्टांप ड्यूटी राशि के समान बैंक गारंटी जमा करने की सहमति (हाँ/ना)**

b. **बैंक गारंटी दस्तावेज़ अपलोड करें**

(3) दावे से संबंधित संपत्ति विवरण:

a. **जिस संपत्ति/भूमि के लिए स्टांप ड्यूटी सब्सिडी का दावा किया गया है, उसका विवरण:** _____ _____

4. **रोजगार सृजन प्रोत्साहन**

(1) रोजगार विवरण:

a. **अनुमानित नए कर्मचारियों की संख्या:** _____

b. **कर्मचारी वर्ग (कुशल / अर्ध-कुशल / अकुशल):** _____

c. **अपेक्षित वार्षिक** EPF **नियोक्ता योगदान:** ₹ _____

d. EPF **पंजीकरण संख्या:** _____

(2) मांगी गई सब्सिडी:

a. **कुल सब्सिडी राशि (**5 **वर्षों में** ₹50 **करोड़ तक):** ₹ _____

(3) सहायक दस्तावेज़:

a. EPF **पंजीकरण प्रमाण पत्र (अपलोड करें)**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

b. **रोजगार प्रतिबद्धता पत्र (अपलोड करें)**

---

5. **प्रशिक्षण सब्सिडी**

(1) **प्रशिक्षण कार्यक्रम विवरण:**

a. **प्रशिक्षण का प्रकार: ड्रॉपडाउन – ऑन-द-जॉब / कौशल विकास / अन्य**

b. **प्रशिक्षुओं की संख्या (योजना के अनुसार):** _____

c. **प्रशिक्षण अवधि (महीने):** _____

d. **कुल प्रशिक्षण लागत:** ₹ _____

e. **मांगी गई सब्सिडी:** ₹ _____

(2) **प्रशिक्षण भागीदार विवरण:**

a. **प्रशिक्षण संस्थान का नाम एवं पता:** _____

b. **सहयोग पत्र/एमओयू अपलोड करें**

(3) **सहायक दस्तावेज़:**

a. **प्रशिक्षण योजना (अपलोड करें)**

b. **प्रशिक्षुओं का आवंटन विवरण (अपलोड करें)**

---

6. **विद्युत टैरिफ सब्सिडी**

(1) **उपयोग विवरण:**

a. **अनुमानित मासिक/वार्षिक विद्युत खपत (यूनिट):** _____

b. **वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ तिथि:** _____

(2) **दावे की जानकारी:**

a. **सब्सिडी के लिए प्रतियूनिट दर** ₹2.00 (**स्थिर**)

b. **प्रति यूनिटअधिकतम वार्षिक सब्सिडी** ₹60 **लाख**

c. **कुल दावा की गई सब्सिडी:** ₹ _____

(3) **सहायक दस्तावेज़:**

a. **विद्युत बिल (उत्पादन के बाद) (अपलोड करें)**

---

7. **परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सब्सिडी**

(1) **मशीनरी ट्रांसफर विवरण:**

a. **मूलदेश/राज्य:** _____

b. **कुल परिवहन लागत:** ₹ _____

c. **दावा की गई सब्सिडी (परिवहन लागत का** 75%, **अधिकतम** ₹10 **करोड़):** ₹ _____

(2) **सहायक दस्तावेज़:**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

a. **मशीनरी खरीद चालान (अपलोड करें)**

b. **परिवहन बिल (अपलोडकरें)**

c. **सीमाशुल्क/आयात अवलेख (यदि लागू हो) (अपलोड करें)**

---

8. **अनुसंधान एवं विकास सहायता एवं उत्कृष्टता केंद्र**

(**1**) **बौद्धिक संपदा अधिकार** (IPR) **प्रोत्साहन:**

a. **पेटेंट/कॉपीराइट/ट्रेडमार्क/भौगोलिक पहचान पंजीकरण लागत:** ₹ _____

b. **दावा की गई सब्सिडी (लागत का** 70%, **अधिकतम** ₹1 **करोड़ प्रति इकाई):** ₹ _____

c. **पेटेंट पंजीकरण रसीदें अपलोड करें**

(**2**) **डिजाइन लैब / फुटवियर प्रोटोटाइप केंद्र:**

a. **प्रस्तावित लागत:** ₹ _____

b. **दावा की गई सब्सिडी (**50%, **अधिकतम** ₹1 **करोड़):** ₹ _____

c. **परियोजना प्रस्ताव अपलोड करें**

(**3**) **उत्कृष्टता केंद्र** (CoE):

a. **परियोजना लागत:** ₹ _____

b. **सब्सिडी अनुरोध (**50%, **अधिकतम** ₹10 **करोड़ प्रति परियोजना; प्रति जिला अधिकतम** 1): ₹ _____

c. **जिला स्थान:** _____

d. **परियोजना दस्तावेज़ अपलोड करें**

---

9. सस्टेनेबिलिटी प्रोत्साहन

प्रोत्साहन	**खर्च घोषित ( )**	**सब्सिडी %**	**अधिकतम स्वीकृत सब्सिडी**	**दावा की गई सब्सिडी ( )**	**आवश्यक सहायक दस्तावेज़**
कार्बन क्रेडिट, ऊर्जा ऑडिट एवं RECs	_____	50%	₹50 **लाख**	_____	**ऑडिट रिपोर्ट, इन वॉइस**
हरित तकनीकी अपनाना	_____	50%	1 **करोड़**	_____	**प्रमाण-पत्र, इन वॉइस**
अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन(LEED, ISO 14001 **आदि)**	_____	75%	1 **करोड़**	_____	**प्रमाणन अभिलेख**
वैकल्पिक लेदर इकाइयों के	_____	5%	15 **करोड़**	_____	CA **प्रमाणित**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

लिए पूंजीगत सब्सिडी (पात्र पूंजीगत निवेश का 5%)			(7 वार्षिक किस्तें)		निवेश विवरण

अनुभाग स : घोषणा एवं प्रमाणन

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि यहाँ और संलग्न दस्तावेजों में दी गई सभी जानकारी सही, पूर्ण और सटीक है। कोई तथ्य छिपाया या गलत प्रस्तुत नहीं किया गया है।
मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि इसी परियोजना के तहत किसी अन्य उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की किसी योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।
मैं/हम सहमत हैं कि यदि कोई अधिक लाभ त्रुटिपूर्वक वितरित हुआ है तो उसे वापस कर देंगे।
आवेदक के हस्ताक्षर: _____
नाम एवं पद: _____
तिथि: _____
_____

सूचनाएँ:
(1) कृपया प्रत्येक अनुभाग के लिए सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें।
(2) घोषित सभी वित्तीय/निवेशों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रमाणिकता अनिवार्य है।
(3) प्रोत्साहन के लिए फॉर्म के अनुभाग आवेदक के विकल्पों के आधार पर गतिशील रूप से विस्तारित होंगे।

अनुलग्नक 2: प्रोत्साहन आवेदन पत्र - औद्योगिक पार्कों के लिए

खंड अ: आवश्यक परियोजना विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	इनपुट प्रकार/विकल्प	आवश्यक सहायक दस्तावेज़
1	आवेदक / इकाई का नाम	-	कंपनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र / साझेदारी अवलेख/ ट्रस्ट अवलेख
2	आवेदक का पैन नंबर	-	पैन की प्रति
3	संपर्क विवरण	ईमेल, मोबाइल नंबर, पूरा डाक पता	
4	प्रस्तावित फुटवियर यूनिट का नाम	-	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	संक्षिप्त परियोजना विवरण	मल्टी-लाइन टेक्स्ट एरिया	
6	परियोजना स्थान	ड्रॉपडाउन – जिला, क्षेत्र टेक्स्टबॉक्स – पूरा पता	जिला उद्योग कार्यालय से प्रमाण-पत्र
7	इकाई का संविधान	ड्रॉपडाउन: कंपनी / साझेदारी / ट्रस्ट / सोसाइटी / अन्य	MoA / AoA / साझेदारी अवलेख / ट्रस्ट अवलेख की प्रति
8	इकाई का पंजीकरण नंबर	-	पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
9	GSTIN नंबर	-	GSTIN की प्रति
10	IEC कोड (यदि लागू हो)	-	
11	व्यवसाय की प्रकृति	ड्रॉपडाउन/सूची: फुटवियर निर्माण / लेदर उत्पाद / अन्य	
12	औद्योगिक उद्यम की स्थिति	रेडियो बटन: नया / विस्तार	DPR अवलेख
13	प्रस्तावित वाणिज्यिक उत्पादन तिथि	डेटपिकर	
14	प्रस्तावित परियोजना लागत (INR करोड़)	संख्यात्मक इनपुट	चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) प्रमाणित निवेश विवरण
15	प्रवर्तक/निदेशक विवरण	नाम, पद, संपर्क, पैन, DIN	पैन और DIN प्रमाण पत्र की CODV
16	लाभार्थी बैंक विवरण	खाता नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड	बैंक पासबुक की प्रति

खण्ड B: प्रोत्साहन विवरण (विस्तार योग्य खंड)

(1) औद्योगिक पार्क विकास के लिए पूंजीगत सब्सिडी

(2) भूमि क्षेत्रफल:

o 25–100 **एकड़ (अधिकतम सब्सिडी** ₹45 **करोड़ तक)**

o 100 **एकड़ या अधिक (अधिकतम सब्सिडी** ₹80 **करोड़ तक)**

(3) सब्सिडी के लिए पात्र पूंजी निवेश (ECI) (रुपये)

मद	प्रस्तावित लागत(₹)	सहायक अभिलेख (अपलोड करें)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आंतरिक सड़कें	₹ _____	विस्तृत अनुमान, ठेकेदार चालान
स्ट्रीटलाइटिंग	₹ _____	उपकरण/ चालान विवरण
जल निकासी, जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम	₹ _____	इंजीनियरिंग अनुमान, बिल
CETP (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) / STP	₹ _____	परियोजना प्रस्ताव, चालान
बिजली और गैस नेटवर्क	₹ _____	उपयोगिता कनेक्शन अनुबंध, चालान
संचार नेटवर्क	₹ _____	अनुबंध, चालान
अग्निशमन केंद्र और आपदा प्रबंधन सुविधाएं	₹ _____	स्थल योजना, सरकारी स्वीकृतियां
ट्रक पार्किंग और सामान्य सुविधाएं	₹ _____	कार्यशाला, परीक्षण प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, छात्र
---	---	---

(1) कुल पात्र पूंजी निवेश (उपरोक्त मदों का योग): ₹ _____

(2) सब्सिडी गणना:

o **सब्सिडी (पात्र पूंजी निवेश का 25%, सीमा के अनुसार): ₹ _____**

o **भूमि क्षेत्रफल के आधार पर अधिकतम अनुमत सब्सिडी: ₹ _____**

o **अनुरोधित सब्सिडी राशि: ₹ _____**

(3) निवेश समय रेखा:

o **निवेश प्रारंभ तिथि: _____**

o **नियोजित निवेश पूर्णता तिथि: _____**

(4) सहायक अभिलेख:

(5) o **चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित निवेश विवरण (अपलोड करें)**

o **विस्तृत DPR / परियोजना रिपोर्ट (अपलोड करें)**

o **इंजीनियरिंग / तकनीकी लागत अनुमान (अपलोड करें)**

o **संबंधित प्राधिकरणों से स्वीकृतियां (अपलोड करें)**_____

स्टांप शुल्क छूट

(1) डेवल पर द्वारा भुगतान किए गए या भुगतान किए जाने वाले स्टांप शुल्क का घोषणा:

o **भूमि पंजीकरण पर कुल स्टांप शुल्क राशि: ₹ _____**

o **भुगतान की तिथि (या अपेक्षित भुगतान): _____**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) 100% स्टांप शुल्क छूट घोषणा

(3) सहायक अभिलेख:

o भूमि पंजीकरण अभिलेख (अपलोड करें)

o स्टांप शुल्क भुगतान रसीदें (यदि पहले ही भुगतान हो चुका है तो अपलोड करें)

o छूट के लिए डेवल पर की सहमति (अपलोड करें)

खंड स : घोषणा और प्रमाणन

मैं/हम इस प्रकार घोषित करते हैं कि यहां प्रदान की गई जानकारी और संलग्न अवलेख मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया या गलत बताया नहीं गया है।

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन के तहत किसी भी अन्य उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की योजना के तहत समान परियोजना के लिए लाभ प्राप्त नहीं किया गया है और नही आवेदन किया गया है।

मैं/हम गलती से वितरित किसी भी अतिरिक्त लाभ की वापसी के लिए सहमत हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर: _____

नाम और पद: _____

तिथि: _____

टिप्पणियाँ:

1. कृपया प्रत्येक खंड के लिए सभी संबंधित सहायक अभिलेख संलग्न करें।
2. घोषित सभी वित्तीय विवरणों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणन अनिवार्य है।
3. प्रोत्साहनों के लिए फॉर्म के खंड चयन के आधार पर बढ़ाए या संकुचित किए जा सकते हैं।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए प्रारूप/टेम्पलेट : औद्योगिक पार्क

प्रशासनिक विवरण

(1) आवेदक/विकास कर्ता का नाम और पता

(2) जिला उपयोगिता और कोड

(3) संबंधित जिला प्राधिकरण से प्रमाणन पत्र

(4) संबंधित विकास प्राधिकरण / नगर पालिका निकाय की स्वीकृतियाँ

(5) पर्यावरण और सांविधिक मंजूरियाँ

परियोजना विवरण

(1) औद्योगिक पार्क का उद्देश्य और परिधि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) परियोजना का समय सीमा (निर्माण और संचालन चरण)

(3) कुल भूमि क्षेत्रफल (स्वामित्व प्रमाण के साथ)

(4) बाधा रहित भूमि प्रमाण-पत्र

<u>भूमि की जानकारी</u>

(1) विस्तृत स्थल ले-आउट आरेख (सड़कें, उपयोगिताएँ, भूखंड, हरित क्षेत्र दर्शाएं)

(2) बुनियादी ढांचा घटक (जल, विद्युत, निकासी, संचारआदि)

<u>अवस्थापना विकास</u>

(1) आंतरिक सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स

(2) जल आपूर्ति और वर्षा जल संचयन प्रणाली

(3) सीवर और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (ETP/STP)

(4) विद्युत, गैस और संचार नेटवर्क

(5) अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रणाली

(6) साझा सुविधाएं (गोदाम, परीक्षण एवं अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, कौशल विकास केंद्र, कार्यालय, बैंक, होटल आदि)

<u>निवेश और वित्तीय अनुमान</u>

(1) पूंजी निवेश विवरण (पात्र और अप्रासंगिक मदों का उल्लेख करते हुए)

(2) माइलस्टोन के अनुसार चरणबद्ध निवेश कार्यक्रम

(3) पूंजीगत सब्सिडी और प्रोत्साहनों का उपयोग एवं व्यवस्थापन

(4) रोजगार सृजन के अनुमान

<u>सहायक अवलेख</u>

(1) भूमि शीर्षक अवलेख

(2) मंजूरियां और स्वीकृतियों की प्रतिलिपियाँ

(3) ले-आउट और इंजीनियरिंग चित्र

(4) वित्तीय विवरण और परियोजना लागत का विभाजन

<u>औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन के लिए प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र</u>

<u>1.आवेदन :</u>
आवेदन संख्या :
आवेदन तिथि :
अधिकृत जिला सुविधा केंद्र / जिला उपयोगिता नाम और कोड:
औद्योगिक पार्क का नाम:
विकास कर्ता का नाम और पता:

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. पार्क और भूमि विवरण
कुल विकसित क्षेत्र:
निजी भूमि क्षेत्र (एकड़ में):
पार्क में आवंटित औद्योगिक इकाइयों की संख्या:
किसी एक इकाई को अधिकतम भूमि आवंटन:
भूमि स्वामित्व का प्रमाण संलग्न करें

3. पूंजी निवेश विवरण
अनुमानित कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश:
अब तक किया गया पूंजी निवेश:
पूंजीगत सब्सिडी के तहत प्राप्त राशि:

4. प्रगति रिपोर्ट
निर्माण प्रगति (प्रतिशत में):
प्रदान की गई सुविधाएँ (जैसे आंतरिक सड़कें, जल आपूर्ति, विद्युत, संचार नेटवर्क आदि):
पर्यावरण और सुरक्षा प्रमाण पत्र:
अन्य प्रगति विवरण:

5. वाणिज्यिक उत्पादन विवरण
वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयों की संख्या:
वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख (पहली इकाई द्वारा):
प्रमाण पत्र संलग्न करें (स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी):

6. ऋण, अनुदान और कोष उपयोग प्रमाण पत्र
प्राप्त अनुदान राशि:
सत्यापन के लिए व्यय विवरण संलग्न करें
पिछली किस्तों के उपयोग प्रमाण पत्र (UC) संलग्न करें

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. घोषणाएँ और सत्यापन
मैं, नीचे हस्ताक्षर कर्ता, यहां पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य और पूर्ण है तथा नीति के प्रावधानों का पालन किया गया है।
आवेदक के हस्ताक्षर एवं पद:
तिथि:

अनुलग्नक 3: जनपदों की सूची - क्षेत्रवार

पूर्वान्चल	बुन्देलखण्ड	मध्यॉचल	पश्चिमांचल
अयोध्या मण्डल	**झांसी मण्डल**	**कानपुर मण्डल**	**आगरा मण्डल**
1. अयोध्या	1. झांसी	1. कानपुर नगर	1. आगरा
2. अम्बेडकरनगर	2. जालौन	2. कानपुर देहात	2. फिरोजाबाद
3. बाराबंकी	3. ललितपुर	(रमाबाई नगर)	3. मैनपुरी
4. सुल्तानपुर	**चित्रकूट धाम मण्डल**	3. इटावा	4. मथुरा
5. अमेठी	4. बांदा	4. औरैया	**अलीगढ़ मण्डल**
गोरखपुर मण्डल	5. चित्रकूट	5. फर्रूखाबाद	5. अलीगढ़
6. गोरखपुर	6. हमीरपुर	6. कन्नौज	6. हाथरस
7. देवरिया	7. महोबा	**लखनऊ मण्डल**	7. कासगंज
8. महाराजगंज		7. लखनऊ	8. एटा
9. कुशीनगर		8. हरदोई	**मुरादाबाद मण्डल**
प्रयागराज मण्डल		9. लखीमपुर खीरी	9. मुरादाबाद
10. प्रयागराज		10. रायबरेली	10. बिजनौर
11. कौशाम्बी		11. सीतापुर	11. सम्भल
12. फतेहपुर		12. उन्नाव	12. रामपुर
13. प्रतापगढ़			13. अमरोहा
वाराणसी मण्डल			**मेरठ मण्डल**
14. वाराणसी			14. मेरठ
15. चन्दौली			15. बुलन्दशहर
16. जौनपुर			16. हापुड
17. गाजीपुर			17. बागपत
विन्ध्याचल मण्डल			18. गौतमबुद्ध नगर
18. मिर्जापुर			19. गाजियाबाद
19. संतरविदास नगर			**सहारनपुर मण्डल**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(भदोही) 20. **सोनभद्र आजमगढ़ मण्डल** 21. **आजमगढ़** 22. **बलिया** 23. **मऊ** **देवीपाटन मण्डल** 24. **गोण्डा** 25. **बहराइच** 26. **बलरामपुर** 27. **श्रावस्ती** **बस्ती मण्डल** 28. **बस्ती** 29. **संतकबीरनगर** 30. **सिद्धार्थनगर**			20. **मुजफ्फरनगर** 21. **शामली** 22. **सहारनपुर** **बरेली मण्डल** 23. **बरेली** 24. **बदायूं** 25. **पीलीभीत** 26. **शाहजहॉपुर**

अनुलग्नक 4: **आईडीए/सरकारी एजेंसी को प्राधिकार पत्र (अग्रिम- भूमि सब्सिडी)**

[नोडल एजेंसी के लेटरहेड पर]-

संख्या: [ ]

तिथि: [ ]

प्रति,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[औद्योगिक विकास प्राधिकरण का नाम]

[पता]_____

विषय: उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर एवं नॉन -लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 **के तहत भूमि लागत सब्सिडी प्रदान करने के लिए प्राधिकरण**

श्रीमान/श्रीमती,

[तिथि] को हुई उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC**) की बैठक में** M/s **[कंपनी नाम] के प्रोत्साहन आवेदन को स्वीकृति दिए जाने के संदर्भ में, नोडल एजेंसी अर्थात् उद्योग निदेशालय / इंवेस्ट यूपी द्वारा संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इस नीति के प्रावधानों के तहत सब्सिडी वाली लागत पर भूमि आवंटित करने का अधिकारी प्रदान किया जाता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:**

परियोजना विवरण

आवेदक इकाई / विकास कर्ता का नाम: []

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

संस्था का स्वरूप: [कंपनी / LLP / साझेदारी / स्वामित्व / सोसाइटी / ट्रस्ट]परियोजना श्रेणी: [स्टैंड-अलोन / मशीनरी निर्माण / मेगा एंकर / क्लस्टर] स्थान (जिला/क्षेत्र): []
औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्राधिकार: [UPSIDA / **नोएडा /** YEIDA / **ग्रेटर नोएडा /** GIDA /BIDA / UPEIDA / **अन्य]परियोजना निवेश (₹ करोड़): []**
भूमि आवश्यकता (एकड़ में):
प्रवर्तित सब्सिडी दर: [नीति प्रावधानों के अनुसार %]

HLEC **से** LoC/**स्वीकृति की संलग्न प्रति।**

<u>औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश</u>
(1) स्वीकृत सब्सिडी राशि समायोजित करने के बाद निवेदक इकाई को शुद्ध आवंटन दर पर भूमि आवंटित करें।
(2) नीति अनुसार मॉर्गेज/सिक्योरिटी आवश्यकताओं सहित सभी भूमि आवंटन शर्तों और नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
(3) आवंटन पत्र और सब्सिडी समायोजन विवरण की एक प्रति रिकॉर्ड और प्रति पूर्ति के लिए नोडल एजेंसी को प्रेषित करें।
(घ) नॉन-अनुपालन या निरस्तीकरण की स्थिति में प्राधिकरण नीति के नियमों के अनुसार वसूली कार्रवाई प्रारंभ करेगा।

<u>उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की स्वीकृति के साथ जारी</u>

[नोडल एजेंसी का नाम] के लिए
अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता
[नाम एवं पद]
मुद्राक्षर/मोहर

प्रति:
प्रिंसिपल सेक्रेटरी/अतिरिक्त मुख्य सचिव, MSME **एवं निर्यात संवर्धन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।**
निर्देशक, उद्योग एवं उद्यम संवर्धन, उत्तर प्रदेश सरकार।
इंवेस्ट यूपी – सीईओ।
संबंधित आवेदक इकाई – श्री/श्रीमती
गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

अनुलग्नक 5: परफॉरमेंस अनुपालन रिपोर्ट (पीसीआर) के लिए प्रारूप

(उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति - 2025 के तहत भूमि लागत सब्सिडी का लाभ उठाने वाली परियोजनाओं के लिए)

(1) जानकारी

a. **परियोजना का नाम और अद्वितीय आईडी (निवेश मित्रा/समर्पित पोर्टल के अनुसार)**

b. **आवेदक संस्था का नाम (कंपनी/एलएलपी/पार्टनरशिप/स्व-स्वामित्व)**

c. **औद्योगिक विकास प्राधिकरण अधिकार क्षेत्र**

d. **नीति श्रेणी (स्टैंड-अलोन / मशीनरी / मेगा एंकर / क्लस्टर)**

e. **स्थान विवरण: प्लॉट नंबर, सेक्टर, जिला, क्षेत्र**

(2) निवेश अनुपालन

a. LoC **के अनुसार प्रतिबद्ध निवेश (₹ करोड़ में)**

b. **अब तक किया गया वास्तविक पात्र पूंजी निवेश (**ECI) (₹ **करोड़ में)**

c. **स्वीकृत शीर्षकों के तहत** CA **प्रमाणित व्यय का विभाजन:**

- **भूमि**
- **भवन औरअन्य निर्माण**
- **संयंत्र और मशीनरी**
- **अवस्थापना और उपयोगिताएँ**

d. **चालानों की प्रतिलिपियाँ, भुगतान प्रमाण और** CA **प्रमाण पत्र**

(3) उत्पादन अनुपालन

a. **वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि (डीप्युटी कमिश्नर इंडस्ट्रीज/पैनलयुक्त** CA **द्वारा प्रमाणित)**

b. **पहली** GST **चालान की प्रति (परीक्षण उत्पादन चालानस्वी कार्य नहीं)**

c. **स्थापित क्षमता बनाम परिचालन क्षमता (%)**

d. **निर्मित उत्पादों का स्वरूप (लेदर/नॉन-लेदर/सहायक)**

(4) रोजगार अनुपालन

a. DPR/LoC **के अनुसार प्रतिबद्ध रोजगार (प्रत्यक्ष रोजगार)**

b. **उत्पन्न वास्तविक रोजगार (पेरोल पर कर्मचारियों की संख्या)**

c. EPF **विवरण, श्रम विभाग का प्रमाण पत्र या** EPF **चैलनों सहितस्व- प्रमाणित**

(5) सांविधिक और नियामक अनुपालन

a. **पर्यावरण मंजूरी / प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की सहमति**

b. **फैक्टरी लाइसेंस और सुरक्षा मंजूरी**

c. **अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

d. **इकाई के संचालन के लिए आवश्यक अन्य सांविधिक मंजूरियाँ**

(6) **घोषणा और प्रमाणन**

a. **अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता द्वारा हस्ताक्षरितस्व- घोषणा जिसमें यह बताया गया हो कि:**

- **इकाई ने नीति के अनुसार वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है।**
- **सभी दी गई जानकारी सत्य और सही है।**
- **इकाई लाभ अवधि के दौरान निरंतर अनुपालन बनाए रखने का संकल्प करती है।**

b. **प्रमाणन के लिए सह- हस्ताक्षरकर्ता:**

- **चार्टर्ड अकाउंटेंट (निवेश विवरण)**
- **चार्टर्ड इंजीनियर (संयंत्र/मशीनरी और क्षमता उपयोग)**

(7) **परिशिष्ट**

a. CA **प्रमाणपत्र (निवेश सत्यापन)**

b. CE **प्रमाणपत्र (मशीनरी / क्षमता)**

c. GST **चालान और वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र की प्रति**

d. EPF **विवरण**

e. **सांविधिक अनुपालन प्रमाण पत्र**

f. **परिचालन इकाई के फ़ोटोग्राफ़िक प्रमाण**

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा
निर्यात प्रोत्साहन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**